नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2010 से 03/2012

1 (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 04/2010 से 03/2012 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि ₹लाखों में
1	बैंक में चैक द्वारा की गई जमा राशि वसूली हेतु शेष	4.2 (च)	6.20
2	अनुदान की अपयुक्त राशि	5	141.62
3	सावधि निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज दिया जाना	6.3	20.37
4	दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7	26.41
5	प्लाटों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	3.20
6	अग्रिम राशियों का समायोजन न किए जाने बारे।	9	4.05
7	वर्ष 2011–12 में बस अडडे की नीलामी न किए जाने के कारण सम्भावित वित्तीय हानि	22	2.01
8	ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिए जाने बारे।	26	0.56
9	सीमेन्ट का सम्भावित दुरूपयोग	36	0.37
10	बिना सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति के अनियमित व्यय	48	4.66

(ग) <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः</u>–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी व श्री ललित कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.9.2012 से 23.11.2012 तक किया गया। विस्तृत लेखा परीक्षण के लिए आय के लेखाओं माह 03/11, 04/11 व व्यय के लिए लेखाओं माह 04/10, 07/11 का चयन किया गया है। यह अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है तथा किसी प्रकार की सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करने तथा गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

परिषद के अवधि 1.04.2010 से 31.03.2012 तक के लेखाओं के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹36000/– (₹छत्तीस हजार मात्र) बनता है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़, हिमाचल प्रदेश को अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 40 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीध्र प्रेषित करने का अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

(1) अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद की स्वस्त्रोतों एवं अनुदान से प्राप्त आय/व्यय की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

	वर्ष 2010–11		**वर्ष 2011–12**	
	स्वस्त्रोत	**अनुदान**	**स्वस्त्रोत**	**अनुदान**
प्रारम्भिक शेष	10919726.01	14414667.00	14120015.01	13242319.00
वर्ष के दौरान प्राप्त आय	17550458.00	10991751.00	18704292.00	13793854.44
योग	28470184.01	25406418.00	32824307.01	27036173.44
व्यय	14350169.00	1214099.00	13517477.56	12897808.44
अन्तिम शेष	14120015.01	13242319.00	19306829.45	14138365.00

दिनांक 31.3.12 को स्वस्त्रोतों की आय का अन्तिम शेष		₹19306829.45
दिनांक 31.3.12 को अनुदान राशि का अन्तिम शेष		₹14138365.00
दिनांक 31.3.12 को कुल अन्तिम शेष		₹33445194.45
वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.12 को अन्तिम शेष		₹33445194.45
(i)	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/10 तक पैरा संख्या 4 में वर्णित वित्तीय स्थिति एवं रोकड़ वह में अन्तर/समाधान जिसका शुद्धिकरण/समायोजन रोकड़ वही में अभी तक नहीं किया गया है।	(–) ₹329906.49
(ii)	पैरा संख्या 6.3 में वर्णित बैंक द्वारा ब्याज का कम भुगतान किया परन्तु रोकड़ वही में पूर्ण देय ब्याज को लेखाकिंत कर दिया गया जिसका शुद्धिकरण/समायोजन अभी तक वांन्छित है।	(+) ₹203764.00
	रोकड़ वही के अनुसार 31.3.12 को अन्तिम शेष	₹33319051.96

(क) बैंक में जमा का विवरणः—

बचत खातों एवं सावधि जमा खातों में दिनांक 31.3.12 को जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से थाः—

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि**
इलाहाबाद बैंक	21698817249	1458120.44
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55123451865	4673176.60
पंजाब नैशनल बैंक	2721000100130647	721958.73
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	1675771853	82732.00
यूको बैंक	20170110006450	86014.74
जे0से0को0 बैंक	11432	53337.00
जे0से0को0 बैंक	515	70960
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65053606629	410261.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55123452235	4384755.09
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	01100050033	5475.36
	योग	**11946790.96**

(ख) सावधि खातों में जमा राशि का विवरणः—

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि**
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55123513754	316410
पंजाब नैशनल बैंक	2721006213	93444
पंजाब नैशनल बैंक	2721006222	215826
पंजाब नैशनल बैंक	2721000140	1006287
पंजाब नैशनल बैंक	2721000104	594339
जे0से0को0 बैंक	1620/33561	566102
जे0से0को0 बैंक	1620/33562	348095
जे0से0को0 बैंक	1620/110469	182751
पंजाब नैशनल बैंक	2721000168	5333000
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	65057692571	10211495

(ए0डी0बी0)

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ए0डी0बी0)	65057692672	2291886
	योग	**₹21159635**
(क) व (ख) का कुल योग	11946790.96	
	(+) 21159635.00	

कुल जमा राशि (परिशिष्ट "ख")के अनुसार 33106425.96

(ग) बैंक समाधान विवरणः—

31.3.12 को रोकड़ वही अनुसार अन्तिम शेष ₹33319051.96

जमा जारी चैक जिनको 31.03.12 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गयाः—

चैक सं0	**दिनांक**	**राशि**	
54776	15.3.12	3823	
54781	20.3.12	20406	
54773	15.3.12	59150	
831412	23.3.12	59150	
50776	01.11.11	1000	
51461	15.12.11	200	
51517	20.01.12	650	
50731	27.09.11	2000	
51479	24.12.11	6372	(+) ₹152751.00

(2) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (खाता संख्या 6629) मे ब्याज/रिफंड दिया गया परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं किया गया (+) 262413

योग **33734215.96**

माईनसः–

(1) दिनांक 31.03.12 की आय जिसे बैंक में 01.04.12 को जमा किया गया (–)₹320

(2) आय जिसे 31.03.12 तक बैंकों ने खाते में जमा नहीं किया गया

चैक संख्या	दिनांक	राशि	
0130472	11.7.11	304250	
0130478	10.02.12	304250	
0961005	10.02.12	8820	
0592829	12.01.12	1050	
0592834	16.02.12	2400	
		₹620770	**(–) ₹620770**

(3) बैंक द्वारा (इलाहाबाद बैंक) 16.08.11 को गलती से काटी गई राशि जिसे दिनांक 18.6.12 को वापिस बैंक द्वारा जमा कर दिया गया। (–)₹6700

दिनांक 31.3.12 को बैंक में कुल जमा राशि ₹33106425.96

(2) रोकड़ वही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

(क) रोकड़ वही की पड़ताल करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ वही को माह 08/2011 से माह 03/2012 तक सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। रोकड़ वही का नियमानुसार समय–समय पर सत्यापित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड–1975 के अध्याय–III के नियम 19 (3) के अनुसार रोकड़ वही अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है जबकि रोकड़ वही को अध्यक्ष से सत्यापित नहीं करवाया गया था जो कि अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्ति उठाने के उपरान्त भी अनियमितता को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में कैश बुक को सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) रोकड़ वही में अनेक ओवर–राईंटिंग/कटिंग की गई है। इस प्रकार की गई कटिंग/ओबर राईटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया था जो कि नियमों के प्रतिकूल है भविष्य में उपरोक्त त्रुटि न दोहराना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) कैश बुक में अधिकतम योग सही नहीं किए गए है जिस कारण बैंक खातों में ₹890/—कम जमा किये गये जिसे शीध्र बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**कैश बुक में प्राप्त राशि**	**बैंक में जमा राशि**	**कम जमा राशि**
19.08.10	4221	4201	20
15.07.10	81062	80462	600
29.03.11	1335	1235	100
13.09.11	23207	23167	40
09.11.11	24241	24331	10
24.11.11	126481	126461	20
23.12.11	122059	121959	100
		योग	**890**

(ङ) रोकड़ वही में वाऊचरों द्वारा भुगतान की गई राशियों की सही प्रविष्टि न करने से ₹890/—का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचरों द्वारा भुगतान की गई राशियों की प्रविष्टियों के गलत योग के कारण रोकड़ वही में वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान दिखाए जाने के कारण ₹890/— का अधिक भुगतान किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए और अधिक भुगतान राशि को उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**वाउचर सं0**	**वाऊचरों का वास्तविक भुगतान**	**रोकड़ वही में दर्शाया गया योग व चैक द्वारा भुगतान की गई राशि**	**अधिक भुगतान जो किया गया**
01.4.11	13 एवं 14	21500	22300	800
01.9.11	16	9002	9092	90
			योग	**890**

(च) ₹620770/–की आय बैंक में वसूली हेतु शेषः–

परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर यह पाया गया कि 31.3.12 को बैंक में ₹620770/–की आय की राशि वसूली हेतु शेष थी उपरोक्त राशि में से ₹304250/–का चैक (संख्या 0130472) दिनांक 11.07.11 से वसूली हेतु शेष दिखाया गया है जो कि एक गम्भीर चिन्तनीय विषय है। उक्त चैक की वसूली यथाशीध्र करने के लिए इस बारे प्राथमिकता पर बैंक से पत्राचार किया जाए ताकि उक्त राशि और इस राशि पर निरन्तर हो रही ब्याज की हानि को रोका जा सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। साथ ही अन्य लम्बित राशियों की वसूली भी शीध्र सुनिश्चित की जाए।

5 अनुदानः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों व उनसे किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

5 (1) अनुदान की राशि ₹141.62 लाख दिनांक 31.3.12 तक व्यय हेतु शेषः–

₹14162584/– अनुदान राशि व्यय हेतु शेष थी। उपयुक्त अनुदान राशि का विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "ग" में दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में SWM योजना की वर्ष 2006–07 में ₹4238886/–तथा "RGURF" स्कीम की वर्ष 2008–09 मे प्राप्त ₹7527652/–भी सम्मिलित है। अतः लम्बे समय से राशि को प्रयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी परामर्श दिया जाता है कि परिषद द्वारा समस्त अनुपयोगी अनुदानों का राशियों का यथा समय पर व्यय करने के उपरान्त निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न खातों में निवेश की गई राशियों का विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

इन सावधि खातों के रख–रखाव में निम्न आपत्तियॉ पाई गई जिनका समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 235 के अनुसार सावधि खातों में निवेश का रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। सावधि खातों के रख रखाव का रजिस्टर गत अंकेक्षण के दौरान तैयार करवाने के उपरान्त भी उसका संरक्षण सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है जबकि इस रजिस्टर में नियमित रूप से सावधि खातों में निवेशित राशि समय सीमा, ब्याज की दर, परिपक्वता राशि निवेश के समय ही दर्ज की जानी चाहिए एवं समय–2 पर प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि भी इस रजिस्टर मे ब्याज प्राप्ति की तिथि को ही की जानी सुनिश्चित की जाए। परिपक्वता पर प्राप्त राशि का ब्याज सहित पूर्ण विवरण रजिस्टर में दिया जाए ताकि सावधि खातों के रख–रखाव की अनियमितता की सम्भावना न रहे। सावधि खातों के निवेश रजिस्टर को पूर्ण रूप से भरकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 पंजाब नैशनल बैंक के सावधि खाता संख्या 272100 PS 0000168 पैरा 4 (ख) के क्रम संख्या 9) में पूर्व में निवेशित ₹5333000/– की राशि पर नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 4/10 से 3/12 तक भी उपरोक्त सावधि खाते के विरूद्ध कोई भी ब्याज की राशि प्राप्त नहीं हुई। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/10 तक के पैरा संख्या 6.2 में आपत्ति उठाने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा कोई पत्राचार उचित कार्रवाई की गई जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। इतनी अधिक राशि पर पिछले कई वर्षों से कोई ब्याज प्राप्त न होना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अविलम्ब यह मामला बैंक के साथ उठाया जाए तथा देय ब्याज की राशि सम्बन्धित बैंक से वसूल करके परिषद कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6.3 सावधि खातों में जमा राशि पर ब्याज के रूप में ₹203764/–की सम्भावित हानिः–

निम्नलिखित सावधि खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सम्बन्धित बैंक द्वारा सावधि निवेशों की परिपक्वता पर देय ब्याज की राशि से कम ब्याज प्रदान कर कुल राशि को दोबारा सावधि खातों में निवेश कर दिया गया। इस प्रकार कम ब्याज प्रदान कर सम्बन्धित बैंक द्वारा नगर परिषद को ₹203764/–की सम्भावित हानि पहुंचाई गई जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है यह मामला/बैंक अधिकारियों के साथ गम्भीरता से उठाया जाए व कम ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

निम्न प्रकरणों में यह भी पाया गया कि बैंक द्वारा कम ब्याज प्रदान करने के उपरान्त भी रोकड़ वही में पूर्ण देय ब्याज को लेखाकिंत किया गया है जोकि अनियमित है। रोकड़ वही में जो ब्याज बैंक द्वारा वास्तव में दिय गया को लेखांकित किया जाना ही अपेक्षित था। कम ब्याज प्राप्त करने के उपरान्त भी रोकड़ वही व सावधि निवेशों में पूर्ण/देय ब्याज के बराबर लेखाकिंत करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त त्रुटि के दृष्टिगत नगर परिषद के लेखे इस हद तक सही व साफ स्थिति स्पष्ट नहीं करते।

बैंक का नाम	**सावधि खाता सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि**	**परिपक्वता की तिथि**	**परिपक्वता राशि (देय)**	**राशि जो दी गई**	**राशि/ब्याज जो कम दिया**
S.B.O.P	65057692571	19.1.11	9387740	19.1.12	10211495	10045081	166414
S.B.O.P	65057692672	19.1.11	2107001	19.1.12	2291886	2254536	37350
						योग	**203764**

6.4 सावधि निवेशों की पड़ताल में नगर परिषद द्वारा मौखिक रूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित सावधि निवेशों पर अर्जित ब्याज को बैंक द्वारा समय–2 पर सम्बन्धित बचत खाते में हस्तांतरित किया जा रहा था परन्तु इस प्रकार अर्जित ब्याज के हस्तांतरण के सम्बन्ध में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में यह पड़ताल नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि में देय ब्याज को कब–2 प्राप्त किया गया और पूर्ण रूप से प्राप्त किया भी गया या नहीं। उक्त अभिलेख सम्बन्धित बैंक से प्राप्त कर जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक का नाम	**सावधि खाता सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि**	**परिपक्वता की तिथि**
पी0एन0बी0 नालागढ़	2721000140	03/10	1006287	13.8.11
पी0एन0बी0 नालागढ़	2721000104	03/10	594339	8/11
पी0एन0बी0 नालागढ़	2721000256	07/08	1094339	29.6.10

7 आयः–

दुकानों के किराये ₹2641853 की राशि वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 तक दुकानों के किराये ₹2641853/–वसूल की जानी बाकी थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। इस राशि की वसूली न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि की वसूली के लिए अतिशीध्र अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा वसूली करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

8 प्लाटों के किराये ₹320195 की वसूली न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2012 तक प्लाटों के किराये ₹320195/–वसूल की जानी शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "च" में दिया गया है। इस राशि की वसूली न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि की वसूली के लिए शीध्र अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा वसूली करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

9 ₹405757/–अग्रिम राशि का समायोजन शेषः–

अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट "छ") के अनुसार दिनांक 31.3.12 तक कर्मचारियों को दी गई ₹405757/–अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस राशि के शीध्र समायोजन हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा राशि का समायोजन कर अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

10 बिजली उपकर की प्राप्ति न करनाः–

सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–(डी) (1)–9/94, दिनांक 08.11.1999 एवं हि0प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा शुल्क वसूल किया जाता है तदानुसार बिजली उपकर की राशि को सम्बन्धित नगर परिषद को भुगतान करना अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया गया कि (परिशिष्ट "ज" के अनुसार) अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर की राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी जिसका औचित्य

स्पष्ट किया जाए देय बिजली उपकर की राशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर वसूली के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 शराब उपकर की प्राप्ति न करनाः—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार (परिशिष्ट "ज" के अनुसार) परिषद को अंकेक्षण अवधि 2010—11 से सम्बन्धित शराब शुल्क की राशि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः शराब शुल्क/उपकर की नियमानुसार देय राशि सम्बन्धित विभाग से वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति बारे उचित अभिलेख का सरंक्षण न करनाः—

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में बिजली उपकर व कुछ अवधि का शराब उपकर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। साथ ही सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा मांग व प्राप्तियों के सम्बन्धित अभिलेख का संरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसे अभाव में इन प्राप्तियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकती जैसे कि निर्धारित दर पर कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अपेक्षित अभिलेख के संरक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में उचित अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 गृहकर तथा जल शुल्क (House tax & water charge):—

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 25.10.12 द्वारा गृह कर निर्धारित रजिस्टर (House tax & assessment register) तथा जल शुल्क रजिस्टर (**water charge register**) प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर तथा जब शुल्क की मॉग, वसूली तथा 31.3.12 को बकाया कर तथा शुल्क की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन

अभिलेखों का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा है। पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था परन्तु इतने समय पश्चात भी कोई कार्यवाही न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः इस अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेंक्षित अभिलेख अब तुरन्त तैयार करके इस विभाग को अवगत कराया जाए।

14 मोबाईल टावर शुल्क बारेः–

अधियाचना संख्या 26 दिनांक 10.10.12 द्वारा मोबाईल टावर शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त कारण से मोबाईल टावर से प्राप्त आय की पड़ताल नहीं की जा सकी। पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह अभिलेख प्रस्ततु करने के लिए आग्रह किया गया था परन्तु इस अंकेक्षण के दौरान भी यह अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना एक गम्भीर अनिमितता है। यह प्रतीत होता है कि इस अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है तथा प्राप्त आय के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV.IT-2005 (Misc) दिनांक 22.87. 2006 के अनुसार निर्धारित दर से मोबाईल टावर तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क वसूल न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष ध्यान में लाया जाता है। अपेक्षित कार्यवाही करने के पश्चात सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अब तैयार करके राशि की की वसूली सुनिश्चित की जाए।

15 ₹984/–किराये के रूप में कम वसूलीः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में आय की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित दुकानदारों से ₹984/–निर्धारित किराये से कम वसूल किए गए। अतः सम्बन्धित दुकानदारों से राशि की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0 सं0	नाम	किराया बढ़ा वृद्धि की तिथि	निर्धारित किराया (₹)	जिस माह से निर्धारित किराया लिया गया	जितना किराया बनता था (₹)	जितना किराया वसूल किया गया	किराये की कम वसूली
1	श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री वीर सिंह	01.09.09	400 से ₹460/– प्रतिमाह	01.4.11	1140 (19X60) 01.09.09 से 31.3.11 तक 19 माह 460–400=60	1020 टिकट नं0 18. 12.10 60 टिकट नं0 89/143 दिनांक 18. 12.10=60 टिकट नं0 129/40 दिनांक 4. 2.11=960 60+960=1020	120 (1140–1020)
2	श्री प्रम लाल पुत्र श्री छत्तर पाल	01.01.09	486 से ₹555/– प्रतिमाह	01.01.11	1728 (24X72)01.01. 09 से 31.12. 10 तक 24 माह 555–483=72	864 टिकट नं0 184/43 दिनांक 15. 3.11=864	864 (1728–864)
						कुल कम वसूली	**984**

16 रोकड़ वही में ₹1079/– कम लिए जाने बारेः–

आय से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि ₹1079/– निम्नलिखित विवरण अनुसार रोकड़ वही में कम जमा किए गए थे। अतः सम्बन्धित व्यक्ति/कर्मचारी से राशि वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	मद	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या/ दिनांक	जितनी आय रोकड़ वही में ली गई	जितनी आय वास्तव में प्राप्त हुई	रसीद/टिकट संख्या बुक संख्या	रोकड़ वही में जितनी राशि कम ली गई
1	तहबाजारी	72/7.3.11	1714	2713 (999+163+395+442+45+400+269)	166 से 172 तक/43	(2713–1714)=999
2	तहबाजारी	74/12.3.11	1721	1757 (1573+184)	182 से 183 तक/43	(1757+1721)=36
3	स्लाटर फी	77/28.3.11	40	50 (10+10+10+10+10)	86 से 90 तक/1	(50–40)=10
4	किराया	77/28.3.11	21120	21130 (5378+518+234+15000)	17 से 20 तक/293	(21,130–21210)=10
5	किराया	6/11.4.11	108093	108117/– (107992+125)	6 से 82/295 (107992) 100/293 (125)	(108117–108093)=24
					कुल	**1079**

17 ₹219/–किराये की कम वसूली बारेः–

अंकेक्षण के दौरान आय सम्बन्धित अभिलेखों के पड़ताल करते हुए पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों से ₹219/–दुकान/प्लाट का किराया कम वसूल किया गया था। अतः सम्बन्धित व्यक्तियों से निम्न विवरण अनुसार राशि वसूली करके परिषद खाते में जमा करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	नाम	दुकान/प्लाट सं0	किराये में बढ़ौतरी की तिथि	निर्धारित किराया	माह जब से बढ़े किराये की वसूली की	माह जिसमें बढ़ा किराया नहीं लिया गया	प्राप्त कम राशि
1	श्री शादी राम पुत्र श्री बंसी लाल	प्लाट (30)	1.8.11	110 से 138	9/11	8/11	(138–110)=28
2	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र रिद्धु राम)	प्लाट (36)	1.8.11	188 से 235	9/11	8/11	(235–188)=47
3	श्री रमेश चन्द पुत्र शारदा राम	दुकान (89)	1.5.11	1441 से 1513	6/11	5/11	(1513–1441)=72
4	मैसर्ज रमेश चन्द तथा श्री अनिल कुमार पुत्र श्री शारदा राम	दुकान (90)	1.5.11	1441 से 1513	6/11	5/11	(1513–1441)=72
					कुल कम वसूली		**219**

18 ₹135/–विलम्ब शुल्क कम वसूली बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ठेकेदार से ₹135/–देरी शुल्क की कम वसूली की गई थी। की शर्त के नियमानुसार बेकरी स्टॉल के ठेकेदार को हर माह की 10 तारीख से पहले मासिक किराये की किश्त जमा करवानी निश्चित की गई थी अन्यथा ₹50/–प्रति दिन की दर से देरी शुल्क जमा करवाया आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा मासिक किराया ₹2460/–(रसीद संख्या 40/302) दिनांक 13.6.11 को जमा करवाया गया तथा तीन दिन का देरी शुल्क ₹150(50X3) के स्थान पर ₹15/–जमा करवाया गया। इस प्रकार ₹135/–(150–15) कम जमा करवाए गए। अतः सम्बन्धित ठेकेदार से राशि नियमानुसार अब वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

19 विलम्ब शुल्क (Late fee) ₹91/—कम वसूली बारे:—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ₹91/—विलम्ब शुल्क की कम वसूली की गई थी। नियमानुसार दुकानदारों द्वारा हर माह की सात (7) तारीख तक तहबाजारी की मासिक किश्त का जमा किया जाना अनिवार्य है तथा सात तारीख के बाद मासिक किश्त जमा करने पर ₹1/—प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। अतः संलग्न विवरणी में दिए गए ब्यौरे अनुसार दुकानदारों से विलम्ब शुल्क कम वसूल करने बारे औचित्य स्पष्ट किए जाए तथा राशि की अब वसूली करके परिषद खाते में जमा कराया जाए। भविष्य में सही विलम्ब शुलक की वसूली की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	व्यक्ति का नाम	मासिक किराया	जमा राशि/अवधि ₹	टिकट संख्या/ दिनांक	जमा किया गया विलम्ब शुल्क	जितना विलम्ब शुल्क जमा किया जाना चाहिए था	विवरण	कम जमा विलम्ब शुल्क
1	प्रधान टैक्सी यूनियन	₹500	1573 जनवरी से मार्च तक 500X3=1500 ₹500 प्रति माह विलम्ब शुल्क=73 कुल ₹1500+73=1573	182/43 दिनांक 14.3.11	73	108 (108 दिन X22 प्रति दिन)	जनवरी की किश्त पर विलम्ब शुल्क=66 (8 जनवरी से 14 मार्च)=35 दिन मार्च की किश्त पर विलम्ब शुल्क=7 (8 मार्च से 14 मार्च)=7 दिन कुल विलम्ब शुल्क जो बनता था 66+35+7=108	35 (108—73)
2	श्री प्रम लाल पुत्र श्री छतार पाल	₹555	2603 जनवरी से मार्च तक 555X3=1665 पिछला बकाया =864/—विलम्ब शुल्क=74 कुल	184/43 दिनांक 15.3.11	74	111 (111 दिन ग₹1 प्रति दिन)	जनवरी की किश्त पर विलम्ब शुल्क=67 (8 जनवरी से 15 मार्च तक)=67 दिन फरवरी की किश्त पर विलम्ब शुल्क=₹36	37 (111—74)

			1655+846+74=2603				(8 फरवरी से 15 मार्च तक)=36 दिन मार्च की किश्त पर विलम्ब शुल्क=8 (8 मार्च से 15 मार्च तक) कुल विलम्ब शुल्क जो बनता था =67+36+8=₹111	
3	श्री अमृत लाल पुच श्री बलदेव	₹467	982/– मार्च से अप्रैल तक 467X2=934 विलम्ब शुल्क=48 कुल 934+48=982	44/17 दिनांक 25.4.11	48	67 (67 दिन X₹1 प्रति दिन)	मार्च की किश्त पर विलम्ब शुल्क=₹49 (8 मार्च से 25 अप्रैल तक)=49 दिन अप्रैल की किश्त पर विलम्ब शुल्क=₹18 (8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक)=18 दिन कुल विलम्ब शुल्क जो बनता था =49+18=₹67	19 (67–48)
							कुल	**91**

20 अनुबन्ध के शर्तों अनुसार नीलामी की राशि वसूल न करने बारेः–

नगर परिषद प्रत्येक वर्ष अपनी सम्पत्तियॉ ठेके पर देकर आय प्राप्त करता है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिन ठेकेदारों के पक्ष में ठेके दिए गए उन्हें ठेका प्रदान पत्र (contract award letter) की शर्त के अनुसार तीन दिन के भीतर नगर परिषद द्वारा मॉगी गई ठेके से सम्बन्धित तय राशि जमा करवानी अनिवार्य थी परन्तु ठेकेदार जिनका विस्तृत विवरण संलग्न विवरणी में दिया गया है निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाई गई तथा यह सीधे तौर पर अनुबन्ध की शर्त का उल्लंधन है। शर्त का उल्लधंन करने पर न तो ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई और न ही कोई विलम्ब शुल्क वसूला गया। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही करके तथा

सम्बन्धित ठेकेदारों से ₹6800/–विलम्ब शुल्क वसूल करके परिषद खाने में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

नीलामी (वित्त वर्ष 2010–11)

क्र0 स0	सम्पत्ति का ब्यौरा	वार्षिक नीलामी की राशि (₹)	ठेकेदार का नाम	ठेका प्रदान पत्र सं0	तिथि के अन्दर देय राशि	जिस तिथि को जमा की गई	जमा में देरी (दिन)	प्रति दिन विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
1	टी0 कैन्टीन बस अडडा	201000	श्री संदीप कुमार	एम0सी0/एल0एल0जी0/रेन्ट ब्रांच 2010–358 दिनांक 26.3.10	29.3.10	1.4.10	3	100	300
2	पान बीडी शॉप	100500	श्री मनीष कुमार	–यथोपरि– 2010–359 दिनांक 26.3.10	29.3.10	1.4.10	3	100	300
3	बेकरी स्टॉल	2600	श्री हक्म चन्द	–यथोपरि– 2010–363 दिनांक 26.3.10	29.3.10	3.4.10	5	50	250
								कुल	**850 (क)**
			नीलामी (वित्त वर्ष 2011–12)						
क्र0 स0	सम्पत्ति का ब्यौरा	वार्षिक नीलामी की राशि (₹)	ठेकेदार का नाम	ठेका प्रदान पत्र सं0	तिथि के अन्दर देय राशि	जिस तिथि को जमा की गई	जमा में देरी (दिन)	प्रति दिन विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क
1	बस अडडा पार्किंग	3651000	श्री देविन्द्र कुमार	एम0सी0/एल0एल0जी0/रेन्ट ब्रांच 2011–293 दिनांक 10.3.11	13.3.11	17.3.11	4	500	2000
2	फ्रूट शॉप	87500	श्री देव राज शर्मा	–यथोपरि– 2011–295 दिनांक 10.3.11	13.3.11	17.3.11	4	100	400
3	जूस वार	231000	श्री ताज	–यथोपरि– 2011–294	13.3.11	19.3.11	6	100	600

			मुहम्मद	दिनांक 10.3.11					
4	बीडी शॉप	239000	श्री मनीष कुमार	–यथोपरि– 2011–296 दिनांक 10.3.11	13.3.11	23.3.11	10	100	1000
5	रेडी मेड स्टॉल	90000	श्री महेश बस्सी	–यथोपरि– 2011–298 दिनांक 10.3.11	13.3.11	28.3.11	15	50	750
6	बेकरी शॉप	29500	श्री हुकम चन्द	–यथोपरि– 2011–297 दिनांक 10.3.11	13.3.11	6.4.11	24	50	1200
								कुल	**5950 (ख)**
				कुल विलम्ब शुल्क जो लिया जाना चाहिए था (क+ख)=850+5950=₹6800					

21 भूमि इस्तेमाल बदलने (Charge of land the) पर कम शुल्क वसूली बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों से भूमि इस्तेमाल बदलने पर ₹96798/–कम शुल्क वसूल किया गया था। हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना विभाग की अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0–ए(3), 1/2005, दिनांक 26.2.07 के अनुसार भूमि इस्तेमाल बदलने पर कुल प्लाट क्षेत्र (Plot area) पर निर्धारित दरों पर प्लाट क्षेत्रफल के आधार पर यह शुल्क वसूल किया जाता है परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों से यह शुल्क कुल प्लाट क्षेत्र पर न लेकर केवल कुल प्लाट क्षेत्र के उस भाग पर किया गया जिस पर निर्माण किया जाना था जोकि उपरोक्त पत्र की मद संख्या डी(2) में दिए गए निर्देशों की अवहेलना है तथा नियमानुसार यह शुल्क कुल प्लाट क्षेत्र पर लिया जाना चाहिए था। अतः कम वसूली का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ ₹96798/–की वसूली करके परिषद खाने में जमा करवाया जाए तथा 4/2010 से 3/2012 तक सम्बन्धित अभिलेखों की अपने–स्तर पर पड़ताल करने के बाद इस प्रकार की कम शुल्क की वसूलियॉ, यदि पाए जाए तो सम्बन्धित व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा भविष्य में सही शुल्क राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	व्यक्ति का नाम	कुल प्लाट क्षेत्र	निर्धारित रेट (प्रति वर्ग मीटर)	कुल राशि	वसूल की गई राशि	कम वसूली
1	श्री आशुतोष वैध तथा श्री बलविन्द्र सिंह	352.25 वर्ग मी0	200	70450	16640 (166.40 वर्ग मी0x₹100)	53810
2	श्री देविन्द्र कुमार पुत्र श्री मिलखी राम	318.44 वर्ग मी0	200	63688	20700 (10350 वर्ग मी0x₹200)	42988
					कम वसूली	**₹96798**

22 वित्त वर्ष 2011–12 में बस अडडे, नालागढ़ में स्थित केन्टीन की नीलामी न किए जाने के कारण परिषद को ₹201000/–वित्तीय हानिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्त वर्ष 2011–12 में बस अडडे पर स्थित केन्टीन की नीलामी नहीं की गई थी जिस कारण नगर परिषद की लगी ₹201000/–का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। नगर परिषद प्रत्येक वित्त वर्ष में अपनी सम्पत्तियों की नीलामी करके आय प्राप्त करती है तथा इस प्रकार वित्त वर्ष 2010–11 में अभिलेख (miscellanceous demand register) के अनुसार बस अडडा केन्टीन की नीलामी करके ₹201000/–आय प्राप्त हुए थी। अतः वित्त वर्ष 2011–12 में बस अडडा केन्टीन की नीलामी न किए जाने के कारण परिषद को ₹201000/–की हानि हुई है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

23 **न0प0 सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए बिना श्री दविन्द्र कुमार के पक्ष में ठेका दिया जाने बारेः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बस अडडा, नालागढ़ की नीलामी उपरान्त ठेका वित्त वर्ष 2010—11 के लिए श्री देविन्द्र कुमार पुत्र जोध सिंह के पक्ष में ₹2456000/— में दिया गया था परन्तु नगर परिषद के कार्यवाही रजिस्टर की प्रस्ताव संख्या 369 दिनांक 25.3.10 के अवलोकन पर पाया गया कि सभा द्वारा उक्त प्रस्ताव में श्री दविन्द्र कुमार के पक्ष में यह ठेका पारित नहीं किया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करने के साथ—2 इस विषय में वांन्छित कार्यवाही करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद भवनों (रिहायशी तथा व्यापारिक) मकानों के नक्शे पारित करने के एवज में सम्बन्धित व्यक्ति से डिपार्टमैटल चार्जिज (Departmental Charges) निरीक्षण फी (Inspection fee) तथा प्रतिभूति (Security) इत्यादि वसूली की जाती है जोकि क्रमशः ₹250/—प्रति लाख भवन की अनुमानित लागत ₹350/—तथा ₹1000/—(न्यूनतम) है। भवन की अनुमानित लागत की गणना भवन के क्षेत्रफल जिस पर निर्माण कार्य किया जाना है की ₹9772/—(प्रति वर्ग मीटर) से गुणा करके की जाती है परन्तु इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश/सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जिसके आधार पर उपरोक्त चार्जिज/फी इत्यादि वसूल किये जा रहे है कि प्रति बार—2 मॉगने पर भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी जिसके अभाव में अनुमानित लागत की गणना तथा चार्जिज/फी की वसूली की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित दस्तावेज/आदेश जिनके आधार पर यह गणनाएं की जा रही है। आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इन गणनाओं तथा प्राप्त की गई फी/चार्जिज की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

25 विश्राम गृह रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के विश्राम गृह रजिस्टर की पड़ताल करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) आगन्तुक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 12 पर दिनांक 16.6.10 (6PM) से 17.6.10 (समय नहीं भरा गया) तक श्री एच0सी0शर्मा निवासी कैन्थू, शिमला का ठहराव दिखाया गया है परन्तु किराया की राशि वसूली सम्बन्धित स्तम्भ में नहीं दिखाई गई। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) विश्राम गृह में ठहरने वालों का उद्देश्य (सरकारी या निजि) सम्बन्धित स्तम्भ (Column) में कई स्थानों पर नहीं भरा गया जोकि पृष्ठ संख्या 11, 12, 13 तथा 14 पर की गई प्रविष्टियों से स्पष्ट है। विश्राम गृह में ठहराव शुल्क सम्बन्धी कार्यालय आदेश अनुमोदित दरों की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई। इन कारणों से आगन्तुकों से सही किराये की वसूली की गई या नहीं, सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

स्थापना (Establishment):–

26 ए0सी0पी0एस0 (Assured career progression scheme) के अन्तर्गत नियमों/निर्देशों के विपरित वित्तीय लाभ दिए जाने बारेः–

सेवा पंजिकाओं की पड़ताल के दौरान अंकेक्षण में पाया गया कि संलग्न विवरणी में नामित कर्मचारियों को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत ₹56035/–का अनुचित वित्तीय भुगतान किया गया है। कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन–(पी0आर0) बी(7)–1/98, हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (पे रीवीसन) डिपार्टमैन्ट, दिनांक, शिमला–171002, 31.8.2009 की निवेश संख्या (4) के अनुसार, आगामी आदेश तक, दिनांक 26.8.2009 के पश्चात ए0सी0सी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारियों को लाभ प्रदान नहीं किया जाना था। तत्पश्चात पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी(7)–59/2010, हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (पे रीवीसन) डिपार्टमैन्ट, दिनांक, शिमला–171002, 9.8.2012 द्वाराए0सी0पी0एस0 द्वारा कार्यान्वित की गई। इस पत्र की निवेश संख्या 4 (एच) (i) के अनुसार ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत पात्रित (deserving) कर्मचारियों को

दिनांक 27.8.2009 से नोशनल (notional) तथा दिनांक 9.8.2012 से वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना है परन्तु उपरोक्त निर्देशों के विपरीत कर्मचारियों को दिनांक 27.8.09 से 8.8.2012 के बीच अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया। जिन कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत यह वित्तीय लाभ प्रदान किया गया वे भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने से पूर्व जो विहित प्रक्रिया पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी (7) 51/98, हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (पे रीवीसन) डिर्पाटमैन्ट, दिनांक, शिमला–171002, 15.12.1998 की निदेश संख्या (4) में दी गई है वह नहीं अपनाई गई। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 सम्बन्धित कर्मचारियों से ₹56035/–की तथा इसके अतिरिक्त यदि अन्य कर्मचारियों यह अनियमित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया हो तो उसकी भी अपने स्तर पर गणना कर वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	जिस पद पर कार्यरत है	वर्षिक वेतन वृद्धि का माह	ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने से पहले वेतन/तिथि	ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के बाद वेतन/तिथि जब से लाभ दिया गया	अवधि जिस दौरान अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया	अनुचित लाभ प्रदान करने का विवरण तथा कुल राशि
1	श्री अरूण कुमार	चौकीदार	मार्च	6550+1300 (1.3.12)	6790+1300 (1.3.12)	1.3.12 से 8.8.12 तक	1.3.12 से 30.6.12 तक (240(6790–6550)+65%(डी0ए0)X4=1584) 1.7.12 से 31.7.12 तक (240(+)72%(डी0ए0)X1=413) 1.8.12 से 8.8.12 तक (240(+)72%(डी0ए0)X8/31=107) कुल 2104
2	श्री हेम राज शर्मा	सैनेटरी सुपरवाईजर	नम्बर	12150+1950 (1.11.10)	12580+1950 (1.11.10)	1.11.10 से 8.6.12 तक	1.11.10 से 31.12.10 तक (430(12586–12150)+45%(डी0ए0)X2=1247 1.1.11 से 30.6.11 तक (430+51%(डी0ए0)X6=3896) 1.7.11 से 30.10.11 तक (430+58%(डी0ए0)X4=2718) 1.11.11 से 31.12.11 तक 450 (430+20(430 का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि)+58%(डी0ए0)X2=1422 1.1.12 से 30.6.12 तक

							(450(+)655(डी0ए0)X6=4455 1.7.12 से 31.7.12 तक) (450(+)72%(डी0ए0)X1=774) 1.8.12 से 8.8.12 तक (450(+)72%9डी0ए0)X8 / 31=200) कुल=14712
3	श्रीमती केसर देवी	सफाई कर्मचारी	मार्च	10070(+)1400 (1.3.10)	10420+1400 (1.9.10)	1.9.10 से 8.8.12 तक	1.9.10 से 31.12.10 तक (350(10420–10070)+45%(डी0ए0)X4=2030 1.1.11 से 28.2.11 तक (350(+)51%(डी0ए0)X2=1057 1.3.11 से 30.6.11 तक 360(350(+)10(350का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि+51%डी0ए0X4=2174) 1.7.11 से 31.12.11 तक (360(+)58%(डी0ए0)X6)=3413 1.1.12 से 29.2.12 तक (360(+)65%(डी0ए0)X2=1188 2.3.12 से 30.6.12 तक 370(360+10(36 का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि.))+65%(डी0ए0) X4=2442 1.7.12 से 31.7.12 तक (370+72%(डी0ए0) X1=636 1.8.12 से 8.8.12 तक (370+72%(डी0ए0) X8=164 कुल=13104
4	श्रीमती कमला देवी	सफाई कर्मचारी	मार्च	10070(+)1400 (1.3.10)	10420+1400 (1.9.10)	1.9.10 से 8.8.12 तक	ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित भुगतान का विवरण क्रम संख्या (3) में श्रीमती केसर देवी को दिए गए विवरणानुसार 13104
5	श्री महिन्द्र सिंह	सफाई कर्मचारी	जून	10060+1400 (1.6.10)	10410+1400 (1.9.10)	1.9.10 से 8.8.12 तक	1.9.10 से 31.12.10 तक 350 (10410–10060)+45%(डी0ए0)X4=2030 1.1.11 से 31.5.11 तक 350(+)51%(डी0ए0)X5=2643 1.6.11 से 30.6.11 तक 360(350+10 (350 का 3% वार्षिक वेतन वृद्धि)+5%(डी0ए0)X1=544 1.7.11 से 31.12.11 तक 360(+)58%(डी0ए0)X6=3413 1.1.12 से 31.5.11 तक 360(+)65%(डी0ए0)X5=2970 1.6.12 से 30.6.12 तक

							370 (360+10(360 का 3%वार्षिक वेतन वृद्धि)+65%(डी0ए0)X1=611
	कुल वसूली	क्रम संख्या (1+2+3+4+5)=2104/−(+)14712(+)13104(+)13104(+)13011=₹56035					1.7.12 से 31.7.'12 तक 370+72%(डी0ए0)X1=636 1.8.12 से 8.8.12 तक (370+72%(डी0ए0)X8/31)=164 कुल 13011

27 ए0सी0पी0एस0 (Assured career progression scheme) के अन्तर्गत ₹19400/−का अनुचित वित्तीय लाभः−

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गिरधारी लाल (सफाई कर्मचारी) जिन्होने दिनांक 1.3.82 को कार्य ग्रहण किया था को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। उनकी सेवा पंजिका में पृष्ठ संख्या 14 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार उन्हें दिनांक 1.3.2006 को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत (24 साल) का लाभ दिया गया था तथा इसके पश्चात दिनांक 1.1.10 को पुनः ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया जोकि नियमानुसार देय नहीं था। इस प्रकार दिनांक 1.1.10 से उन्हें एक अधिक वार्षिक वेतन वृद्धि (One Ine increment) का अनुचित लाभ प्रदान किया जा रहा है जोकि नीचे दिए गए विवरण अनुसार दिनांक 30.11.12 तक ₹19400/−बनता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अतः उपरोक्त अनियमितता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.01.06 के पश्चात कर्मचारी का वेतन निर्धारण नियमानुसार पुनः किया जाए। तथा सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक अनुचित किये गये भुगतान की राशि की वसूली करके परिषद के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 1.3.10 को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिए जाने से पूर्व वेतन	दिनांक 1.1.10 को ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत अनुचित लाभ दिए जाने के बाद वेतन	अवधि 1.1.10 से 30.11.12 तक अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का विवरण तथा कुल राशि
10070+1400	10420+1400	1.1.10 से 30.6.10 तक (350(10420−10070)+35%डी0ए0X6=2835 (1) 1.7.10 से 31.12.10 तक (350+45%डी0ए0X6=3045 (2) 1.1.11 से 30.6.11 तक (360 350+10(3%वार्षिक वेतन वृद्धि ₹350 पर)+51%डी0ए0)X6=3262 (3) 1.7.11 से 31.12.11 तक

		(360+58%डी0ए0)X6=3413 (4) 1.1.12 से 30.6.12 तक (370 360+10(3% वार्षिक वेतन वृद्धि 360 पर)+65%डी0ए0)X6=3663 (5) 1.7.12 से 30.11.12 तक (370+72%डी0ए0)X5=3182 (6) कुल अनुचित भुगतान=₹19400 ((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6))

28 कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं में सेवा का सत्यापन (Service Verification) नियमित तौर पर न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की पड़ताल करने पर पाया गया कि कर्मचारियों की वार्षिक सेवा का सत्यापन नियमित तौर से नहीं किया जा रहा है जो कि नीचे दिए गए कुद उदाहरणों से स्पष्ट है। अतः निम्नलिखित ससम्बन्धित कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का सत्यापन करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए भविष्य में सेवा का सत्यापन नियमित तौर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	जिस पद पर कार्यरत्त है	अवधि जिसका सत्यापन नहीं किया गया
1	श्री कर्मजीत	बेलदार	1.10.09 से 30.9.10 तथा 1.10.10 से 30.9.11
2	श्रीमती सीता	सफाई कर्मचारी	1.10.09 से 30.9.10 तथा 1.10.10 से 30.9.11
3	श्री सोहन लाल	सफाई कर्मचारी	1.1.10 से 31.12.10 तथा 1.1.11 से 31.12.11
4	श्री दिनेश कुमार	क्लर्क	1.3.10 से 20.2.11 तथा 1.3.11 से 29.2.11
5	श्री बलजीत सिंह	वर्क इन्सपैक्ट	1.4.10 से 31.3.11
6	श्री कुलदीप	चौकीदार	1.8.09 से 31.7.10 तथा 1.8.10 से 31.7.11

29 छुट्टियों के खातों (leave accounts) का नियमित रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों के छुट्टियों के खातों (leave accounts) की पड़ताल करने पर निम्नलिखित त्रुटियॉ/अनियमितताएं पाई गईः–

(1) श्रीमती देविका (सफाई कर्मचारी) के अर्जित अवकाश खाते में निम्नलिखित तिथियों को छुट्टियों का शेष माईनस (mines) में था। इसमें यह स्पष्ट है कि इन तिथियों को अर्जित अवकाश खाते में पर्याप्त शेष नहीं था जिस कारण शेष माईनस (mines) में आ गया जोकि छुट्टी

नियमावली का उल्लघन है। अतः शेष संख्या "218" दिन अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा लीव रूल्स के अनुसार कार्यवाही की जाए कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	**दिनांक**	**अर्जित अवकाश का शेष**
1	30.6.95	(–) 2
2	31.12.97	(–) 1
3	30.6.98	(–) 24
4	31.12.98	(–) 32
5	30.6.99	(–) 39
6	31.12.99	(–) 54
7	31.12.2001	(–) 16
8	31.12.2002	(–) 7
9	30.6.2003	(–) 43
	कुल	**218 दिन**

2 श्रीमती ज्ञानो देवी (सफाई कर्मचारी) दिनांक 31.7.2011 को सेवा निवृत हो चुकी है। उनके अर्जित अवकाश खाते में 148 दिन अर्जित अवकाश का शेष दिखाया गया था परन्तु गणना के पश्चात यह शेष 144 दिन पाया गया। अतः ₹1917 ((7700+1400)+4641(58**%**डी0ए0, 9100 पर)X4 / 30) की वसूली करके परिषद खाते में से जमा करवाया जाए।

3 **अधिकतम सेवा पंजिकाओं के छुट्टी के खातों में (leave accountas) निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई:–**

(i) किसी भी कर्मचारी की सेवानिवृति पर उसके छुट्टी के खाते में बकाया अवकाश के हिसाब से रोकड़ भुगतान (leave encashment) करने से पूर्व शहरी विकास विभाग के निर्देशानुसार कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र "छुट्टी" के खाते की जांच कर ली गई है तथा यह सही है दिया जाना अनिवार्य है जोकि नहीं किया जा रहा है।

(ii) अर्धवैतनिक अवकाश खाते (HPL Accounts) नहीं बनाए गए है।

(iii) विहित प्रपत्र पर छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किए जा रहे है और न ही इन छुट्टियों की स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यालय आदेश निकाले जा रहे है। अवकाश से सम्बन्धित कार्यग्रहण तथा प्रस्थान सूचनाएं कई प्रकरणों में संलग्नित नहीं पाई गई

(iv) छुट्टियों के खाते में शेष अवकाश का सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

(v) अर्जित अवकाश खातों में कई तिथियो ंपर अधिकतम सीमा से अधिक जमा (credit) दिए गए पाए गए तथा

(vi) सेवा पंजिकाओं के आरम्भ में कर्मचारियों द्वारा व्यतीत की गई छुट्टियों की प्रविष्टियॉ तथा उनका सत्यापन नहीं किया गया है। छुट्टियां सीधे छुट्टी के खाते में प्रविष्टि की जा रही है।

उपरोक्त त्रुटियां/अनियमितताओं के चलते कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों में शेष सम्बन्धी गलत गणना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अधियाचना संख्या 24 दिनांक 9.10.12 द्वारा इस विषय पर कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में लीव रूल्स के अनुसार छुट्टियों के खातों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

व्ययः–

30 तारकोल की खरीद में नगर परिषद को ₹18374/–की हानिः–

वाउचर संख्या 49 माह 04/10 द्वारा ₹704332/–का भुगतान हिमाचल प्रदेश स्टेट समाल इन्डस्टरीज एंड एकस्पोर्ट कोरप, (लि0) परवाणू को 18.720 एम0टी0 तारकोल की खरीद के लिए ₹37624.55/–प्रति एम0टी0 की दर से किया गया। उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में पूर्तिकर्ता द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार तारकोल की पूर्ति की गईः–

कैश मैमों से	दिनांक	तारकोल की क्रय की गई मात्रा	दर	कुल राशि
10906750	20.5.10	9.204 एम0टी0 (59 ड्रम 156 कि0ग्रा0 प्रति ड्रम की दर से)	₹37985 प्रति एम0टी0	349614
10906752	20.5.10	9.204 एम0टी0 (59 ड्रम 156कि0ग्रा0 प्रति डरम की दर से0	₹37985 प्रति एम0टी0	349614
	कुल मात्रा	**18.408 एम0टी0**	**कुल राशि**	**699.228**

उपरोक्त खरीद की विस्तृत जांच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः–

(क) प्रोफॉर्मा इनवायस संख्या RMD/P-9-66/2008-26 दिनांक 16.4.10 द्वारा पूर्तिकर्ता ने तारकोल ₹37624.55 प्रति एम0टी0 की दर से पूर्ति करना तय किया था परन्तु वास्तवि पूर्ति तयशुदा दर से न करते हुए ₹37985/–प्रति एम0टी0 की दर से किया गया जो कि ₹360.45 प्रति एम0टी0 अधिक है। इस प्रकार अधिक दर से तारकोल की पूर्ति के कारण नगर परिषद को ₹6635/–की हानि हुई (₹360.45X18.408एम0टी0)

(ख) पूर्तिकर्ता को भुगतान 18.720 एम0टी0 तारकोल की पूर्ति के लिया किया था परन्तु उपरोक्त विवरणानुसार पूर्तिकर्ता ने केवल 18.408 एम0टी0 तारकोल की ही पूर्ति की जोकि 0.312 एम0टी0 कम है। तारकोल की कम पूर्ति के कारण नगर परिषद को ₹11739/–की हानि हुई (₹37624.55 प्रति एम0टी0X0.312 एम0टी0)

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तारकोल की खरीद में नगर परिषद को ₹18374/– (₹6635+₹11739) की हानि उठानी पड़ी इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस हानि के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए एवं दोषी कर्मचारी/उपयुक्त स्त्रोत से इस राशि की वसूली कर नगर परिषद खाते मे ंजमा करवाई जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए विज्ञापन पर ₹12000/–का अनियमित व्ययः–

निम्नलिखित प्रकरणों में परिषद द्वारा अपने ही स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु ₹12000/–का भुगतान किया। नियमानुसार विज्ञापनों को हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के विज्ञापन शाखा द्वारा विज्ञापित किया जाना अपेक्षित था ताकि सरकारी दर का लाभ प्राप्त किया जा सकता। अतः विज्ञापनों को सरकारी संस्था को माध्यम से विज्ञापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाएः–

क्र0सं0	वा0सं0	माह	राशि	भुगतान किये किया गया
1	32	4/10	₹3000	चोपड़ा पबलिशिंग हाऊस (प्रा0)लि0 जालन्धर
2	56	4/10	₹9000	दैनिक भास्कर, सचदेवा निवास, डेजी बैंक इस्टेट, नीयर जोधा निवास, शिमला।
		कुल	**₹12000**	

32 वेतन एवं भत्तों पर ₹6312.00 का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 07 माह 07/2011 की पड़ताल में पाया गया कि सत्तपाल (सफाई कर्मचारी) को सेवा पुस्तिका के अनुसार देय वेतन न देकर अधिक भुगतान किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच में पाया गया कि सेवा पुस्तिका के अनुसार उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त 01.01.2011 से मूल वेतन ₹11130/–एवं ₹1400 (ग्रेड पे)=₹12530/–प्रति माह वेतन एवं उस पर देय भते देय थे परन्तु उक्त कर्मचारी को मूल वेतन ₹11470/–+₹1400/–(ग्रेड पे)=₹12870.00 एवं उस पर देय भत्तों का भुगतान अवधि 01/11 से 12/11 तक किया गया। अतः निम्नविवरणानुसार उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹6312/–का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अधिक किए गए भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर परिषद कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	देय वेतन व मंहगाई भत्ता	वेतन व मंहगाई भत्ता जो दिया	अधिक भुगतान
01/11 से 06/11	₹11130+₹1400=12530+DA@51%=12530 +DA 51%6390 18920	₹11470+₹1400 ₹12870 +D.A 51%6564 19434	₹514X6=3084
07/11 से 12/12	₹12530+DA 58% 7267 ₹19797	₹12870+DA 58% 7465 20335	538X6=3228
		योग	6312

33 बिजली के सामान के क्रय पर ₹229840/—का अनियमित व्ययः—

वाउचर संख्या 38 माह 04/2010 द्वारा मै0 लीडर फूड प्रोडक्टस (प्रा0)लि0 परवाणू को 100 CLF फिक्सचर (₹2100/—प्रति सीएफएल की दर से +4% वैट) एवं 100 सीएफएल टयूब (₹110/—प्रति सीएफएल की दर से +4% वैट) क्रय करने के लिए ₹229840/—का भुगतान किया गया। उपरोंक्त वाउचर की पड़ताल में निम्नलिखित त्रुटियां आपत्तियां पाई गईः—

(क) इतने अधिक राशि की सामग्री क्रय करने के लिए निविदाऐं/टैण्डर समाचार पत्रों में विज्ञापित करना अपेक्षित थे ताकि खुले बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता। परन्तु अंकेक्षण में समाचार पत्रों में विज्ञापन के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि टैण्डर हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया ही नहीं गया था जोकि अनियमित है। इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्टीकरण दिया जाए।

(ख) नियमानुसार निविदाऐं/टैण्डर के लिए गठित की गई कमेटी द्वारा ही एकत्रित एवं खोली जानी अपेक्षित थी परन्तु उपरोक्त प्रकरण में निविदाएं अकेले कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही एकत्रित की गई एवं खोली गई जोकि अनियमित है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

(ग) इस क्रय प्रकरण में सामग्री संविदा दर से क्रय न करने के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। नियमानुसार क्रय संविदा दर से किया जाना अपेक्षित था। संविदा दर से सामग्री क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(घ) राशि का भुगतान संविदाकार को करने से पहले उस पर आय कर अधिनियम के अनुसार आय कर काटा जाना अनिवार्य था परन्तु इस प्रकरण में कुल राशि का भुगतान बिना आयकर कोट ही कर दिया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ङ) निविदाओं पर एवं बिल पर कहीं भी यह अंकित नहीं था कि जो बिजली की सामग्री क्रय की गई वो किस ब्रांड/मेक की है। जिसके अभाव में खरीदी गई सामग्री की गुणवता को जांचा नहीं जा सकता जैसे कि वे 1.51 मार्क थी या नहीं। बिना ब्रांड/मेक की सामग्री क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(च) उपरोक्त सामग्री से सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक अभिलेख (SR No. 57 पृष्ठ संख्या 24 एवं 25) की जांच में पाया गया कि उपरोक्त क्रय की गई सामग्री की खपत की कोई भी प्रविष्टि स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री की कोई भी खपत नहीं की गई एवं इतनी अधिक सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के ही किया गया था। इतनी अधिक सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के किया जाना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

34 डम्पर प्लेसर की मुरम्मत एवं रखरखाव पर ₹36305/—का व्ययः—

वाउचर संख्या 47 माह 04/10 द्वारा ₹36305/—का भुगतान मै0 सैनी मोटर स्टोर, नालागढ़ को गाड़ी नं0 एच0पी0—12—9792 (डम्पर प्लेसर) की मुरम्मत एवं रख रखाव करने हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः—

(क) गाड़ी खराब होने की रिपोर्ट कि पुष्टि मैकेनिक के द्वारा नहीं की गई थी और न ही चालक द्वारा गाड़ी खराब होने रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्ततु की गई।

(ख) डम्पर प्लेसर की मुरम्मत से पूर्व प्राकलन सक्षम अधिकारी/प्राकलन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया जिसके अभाव में किए गए कार्य की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ग) गाड़ी की मुरम्मत अधिकृत वर्कशाप डिलर से न करवाने बारे पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाए।

(ङ) गाड़ी मुरम्मत पर व्यय करवाने के लिए परिषद की स्वीकृति नहीं ली गई।

(च) रिपेयर कार्य प्राप्त पुराने बदले गए पुर्जो को स्टॉक में प्रविष्टि नहीं की गई। उक्त आपत्तियों बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व व्यय को सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

35 सामान्य भविष्य निधि खाते से ₹582017/–का नगर परिषद कोष में हस्तांतरणः–

वाउचर संख्या 53 माह 04/10 द्वारा भविष्य निधि खाते से ₹582017/–का हस्तांतरण नगर परिषद कोष में किया गया। इस राशि को सामान्य भविष्य निधि खाते से नगर परिषद के कोष में इसलिए हस्तांतरित किया गया क्योंकि उपरोक्त राशि भविष्य निधि के बैंक खाते में भविष्य निधि खातों धारकों के खातों में जमा राशि से अधिक थी। उपरोक्त वाउचर के अनुसार सामान्य भवन निधि बैंक खाते में 31.3.10 तक ₹3794858/–शेष थी परन्तु सामान्य भवन निधि खाता धारकों के खातों में 31.3.10 तक जमा ₹3212841.00 थी। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियों बारे पूर्ण स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(क) सामान्य भविष्य निधि खाते में अधिक राशि जमा होने बारे अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) राशि को हस्तांतरित करने बारे नगर परिषद की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

(ग) नियम जिसके अन्तर्गत उपरोक्त राशि का हस्तांतरण किया गया अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया जा सका।

36 ₹37570/–कीमत के सीमेन्ट का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

प्रबन्ध निदेशक, सिविल सप्लाई कोर्पोरेशन, शिमला को 200 बैग सीमेन्ट के क्रय हेतु ₹37570/–का भुगतान (₹187.55 प्रति बैग की दर से) वाउचर संख्या 42 माह 07/11 किया गया परन्तु न तो सीमेन्ट खरीद/पूर्ती के पक्ष में कोई बिल प्रस्तुत किया गया एवं न ही सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि पाई गई। इससे यह प्रतीत होता है कि या तो भुगतान करने के उपरान्त भी सीमेन्ट प्राप्त ही नहीं किया गया था या सीमेन्ट का दुर्विनियोजन कर लिया गया। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी जांच आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

37 सीमेन्ट खरीद के बिल/वाउचर जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

प्रबन्ध निदेशक सिविल सप्लाई कोर्पोरेशन शिमला को 800 बैग सीमेन्ट के क्रय हेतु ₹145144.00 का भुगतान वा0सं0 19 माह 07/10 द्वारा किया गया परन्तु सीमेन्ट क्रय करने के सम्बन्ध कोई भी बिल/बिल्टी एवं अन्य अभिलेख जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

38 यात्रा भत्ते के रूप में ₹86.00 का अधिक भुगतानः–

श्री राजिन्द्र कुमार (सफाई कर्मचारी) के यात्रा भत्ते का भुगतान वाउचर संख्या 24 माह 04/10 ₹568 की पड़ताल में पाया गया कि दैनिक भत्ते के रूप में उक्त कर्मचारी को ₹86/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी गणना निम्न प्रकार से है। इस त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण देते हुए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

स्थान से	दिनांक/समय	स्थान तक	दिनांक/समय	दैनिक भत्ता देय	दैनिक भत्ता जो दिया	अधिक दिया गया दैनिक भत्ता
नालागढ़	23.3.10 11:00AM	सोलन	23.3.10 2:00PM			
सोलन	23.3.10 4:PM	नालागढ़	23.3.10 9:PM	70% of ₹84 ₹34	₹84	₹50
नालागढ़	25.3.10 6:00AM	सोलन	25.3.10 11:00AM			
सोलन	25.3.10 2:00PM	नालागढ़	25.3.10 7:00PM	₹48	₹84	₹36
					योग	**₹86.00**

39 (क) ₹22307/–के अदेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न औषधियों का भी भुगतान किया गया जो चिकित्सा परिचियो के नियमों के अनुसार देय नहीं है। अतः अदेय औषधियां के अधिक भुगतान की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

वा0सं0	माह	कर्मचारी का नाम	दवा / परीक्षण का नाम	बिल सं0 / तिथि	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान	टिप्पणी
50 / 51	7 / 11	राजेन्द्र कुमार–III सफाई कर्मचारी	स्टंट	–	115000	95000		नियमानुसार ₹950000 हो दे थे।
50 / 51	7 / 11	सोहन लाल सफाई कर्मचारी	Cipcal	–	44	–	20000	नियमानुसार देय नहीं
50 / 51	7 / 11	राजेन्द्र कुमार	चिकित्सक परामर्श व्यय	–	450	–	450	यथोपरि
50 / 51	7 / 11	राजेन्द्र कुमार	चिकित्सक परामर्श व्यय	–	400	–	400	यथोपरि
50 / 51	7 / 11	कुलवन्त राय मेसन	X-ray charge	–	80	–	80	चिकित्सक ने एक्स रे के लिए परामर्श नहीं दिया था।
50 / 51	7 / 11	कमलेश कुमारी (सफाई कर्मचारी)	–	–	₹613 (459+154)	–	₹613	चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र को सत्यापित नहीं किया गया था।
50 / 51	7 / 11	हुक्म चन्द (बेलदार)	–	3441 13.7.11	720	–	72	चिकित्सक द्वारा परामर्श से पहले ही दवा क्रय की गई
							₹22307	

(ख) चिकित्सक के बिना परामर्श के ₹1781.00 का अनुचित भुगतानः–

श्री राजेन्द्र कुमार (III) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र (वा0सं0 50151 माह 07/11) की पड़ताल मे ंपाया गया कि चिकित्सक के परामर्श के बिना ही ₹1781.00 का अनियमित भुगतान कर दिया गया। चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र के साथ संलग्न की गई नालागढ़ सरकारी चिकित्सालय की Prescription slip दिनांक 14.10.09 की भी जबकि ₹1781/–के निम्न विवरणानुसार चिकित्सा बिल जो कि साथ में संलग्न किए गए थे चिकित्सक द्वारा परामर्श की तिथि से पूर्व के है। इस प्रकार परामर्श की तिथि से पूर्व ही क्रय की गई दवाईयों की प्रतिपूर्ति बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं किए गए अनुचित भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

बिल का विवरण	बिल सं0	बिल की तिथि	राशि	टिप्पणी
H.P. State civil Suply corp Natagarh	881	04.09.09	375.70	दवाईयां परामर्श की तिथि से पूर्व क्रय की गई
यथोपरि	3129	14.9.09	86.54	–यथोपरि–
कांग मैडिकल हॉल, नालागढ़	147	14.9.09	376	–यथोपरि–
H.P. State civil supply corp. Nalagarh	4911	23.9.09	385.49	–यथोपरि–
सतीश मैडिकोस नालागढ़	1226	08.10.09	557	–यथोपरि–
		योग	**1780.73**	

(ग) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर देय से अधिक या भुगतानः–

वाउचर संख्या 50/51 माह 07/2011 के अवलोकन पर पाया गया कि श्री सत्तपाल वर्क सुपरवाईजर को उनके पुत्री दिक्शा कि चिकित्सा हेतु ₹618/–का भुगतान निम्न निम्नलिखित बिलों के लिए किया गयाः–

बिल संख्या	तिथि	राशि
52232	24.8.9	201
52382	04.9.09	397
	योग	**598**

अतः उपरोक्त बिलों का योग ₹598/–था परन्तु प्रार्थी को ₹618/–का भुगतान किया गया अर्थात जो ₹20/–अधिक भुगतान किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अधिक किए गए भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) ₹1237/–के कालातीत चिकित्सा बिलों का अनियमित भुगतानः–

निम्न प्रकरणों में पाया गया कि ₹1237/–के चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्रों का भुगतान बिलों के कालातीत होने के उपरान्त भी बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति कर दिया गया जो कि अनियमित है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इन्हें नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	माह	कर्मचारी का नाम	राशि	चिकित्सा की तिथि	दावे की नियम तिथि	दावे की वास्तविक तिथि
50/51	7/11	सोहन लाल	135	27.10.09	3.2.10	11.2.10
50/51	7/11	सोहन लाल	557	12.10.09	20.1.10	11.2.10
50/51	7/11	सोहन लाल	458	24.5.10	06.9.10	21.9.10
50/51	7/11	सोहन लाल	87	22.3.10	30.6.10	21.9.10
		कुल राशि	**₹1237**			

(ङ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान बिना आश्रितों की सूचियां प्राप्त किए करनाः–

उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार कर्मचारियों को इनके परिवार के सदस्यों के अनुसार प्रतिपूर्ति दावों की प्रतिपूर्ति बिना आश्रितों की सूचियां प्राप्त किए ही किया जा रहा है। इस प्राकर यह स्पष्ट नहीं होता की कर्मचारी द्वारा जिस व्यक्ति का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्राप्त किया जा रहा है व नियमानुसार कर्मचारी के परिवार का आश्रित सदस्य है या नहीं।

साथ ही यह भी पाया गया कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आधे अधूरे चिकित्सा दावों भुगतान परिषद द्वारा बिना उचित जांच पड़ताल के किया जा रहा है तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्रों की भुगतान दवाइयों की जांच के लिए मैडिकल चैक रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया गया है। अतः त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए और इन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उचित पग उठाए जाएं। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 बिना सक्षम अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के ₹466543.00 का अनियमित व्ययः—

व्यय वाउचरों के अवलोकन पर यह पाया गया कि निम्न प्रकरणों में वाउचरों को न तो कार्यकारी अधिकारी और न ही प्रधान/उप प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित वाउचरों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही कर परिषद निधि को ₹466543/—की हानि पहुंचाई गई। इस गम्भीर अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके भुगतान नियमित करवाए जाए अन्यथा अनियमित तौर पर किए गये व्यय का उचित स्त्रोत से करके परिषद निधि के खाने में जमा करवाई जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0	दिनांक/माह	राशि	भुगतान का विवरण
64	26.11.10	81765	श्री भूतिन्द्र सिंह बेदी को क्र0/ऑफ रिटेनिंग वाल का भुगतान
68	26.11.10	7000	श्री सुधाकर पलम्बर को 05/10 एवं 06/10 में मुरम्मत के लिए ₹3500/—प्रति माह की दर से।
69	26.11.10	22178	मै0 गोविन्द साहिब इन्ट क्र/ऑफ रोड विद इंटरलोकिंग टाईल
70	26.11.10	9481	मै0 गोविन्द साहिब इन्ट क्र/ऑफ रोड विद इंटरलोकिंग टाईल वार्ड नं0 2
71	26.11.10	8977	मै0 गोविन्द साहिब इन्ट क्र/ऑफ चौक विद इंटरलोकिंग टाईलस वार्ड नं0 4
30	08.12.10	24998	श्री विजय कुमार शिफिटिंग ऑफ मल्बा लाईंग नियर

			IDSMT काम्पलैक्स
31	08.12.10	34677	श्री विजय कुमार अधता काम्पलैक्स वा0नं0 1
14	01.07.11	17000	श्री संजीव कुमार क्लर्क को कर्मचारियों के वेतन से RID की कटौती के आगामी भुगतान हेतु
15	01.07.11	174807	भवन निधि की राशि एवं पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान की राशि का भुगतान
17	01.07.11	11610	कर्मचारियों के वेतन से काटे गए ऋण की किश्त का भुगतान
38	25.11.11	74050	श्री हनुमान को क्र/ऑफ प्रीमिकल कारपेट सरफेसिंग आन रोड का भुगतान
		466543	

41 ₹7134/– का संदिग्ध भुगतानः–

रोकड़ वही के अवलोकन पर यह पाया गया कि दिनांक 27.09.2011 को (रो0व0 पृष्ठ संख्या 51) ₹7134/–का भुगतान दर्शाया गया है परन्तु उक्त भुगतान का वाउचर संख्या, भुगतान किसे गया, किस मद पर किया गया आदि का विवरण रोकड़ वही में नहीं पाया गया और न ही भुगतान सम्बन्धित कोई वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है एवं इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से कर परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाए।

42 संविदाकार को ₹10000/–का अधिक भुगतानः–

वाउचर संख्या 35 एवं 36 माह 07/2010 की पड़ताल में पाया गया कि संविदाकार श्री गुरदित सिंह को निम्न विवरणानुसार ₹97259/–का भुगतान देय थाः–

वा0सं0	कार्य का नाम	देय राशि ₹
36 माह 07/10	क्र0 ऑफ रिटेनिंग वाल इन अहाता काम्पलैक्स वा0नं0 1	₹60421
37 माह 07/10	अर्थ फिलिंग इन अहाता काम्लैक्स वा0नं0 1	₹36838
	कुल देय राशि	**₹97259**

परन्तु रोकड़ वही के अवलोकन अंकेक्षण में पाया गया कि (रो0व0 पृ0सं0 9 दिनांक 14.07.10) संविदाकार श्री गुरदिप सिंह को ₹97259/–की एवज में ₹107259.00 का भुगतान चैक संख्या 042872 द्वारा कर दिया गया अर्थात ₹10000.00 अधिक किया गया प्रतीत होता है। यह एक अत्यन्त ही गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। यह मामला उच्च अधिकारियों विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस अवधि भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से वसूल कर परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

43 ₹248560/–का विभागीय प्रभार सम्बन्धित फण्ड में जमा न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका कर्मचारी (पैन्शन, ग्रेच्यूटी एवं सा0भ0 निधि) नियम 2000 के नियम 16 के अनुसार नगर पालिकाओं द्वारा अपने वार्षिक बजट के 1**%** के बराबर अंशदान विभागीय प्रभार (डिपार्टमेन्टल चार्जिज) के रूप में इसके लिए स्थापित फंड में जमा किया जाना आवश्यक है परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि के वर्ष 2010–11 में ऐसा कोई भी अंशदान जमा नहीं करवाया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं निम्न विवरणानुसार वर्ष 2010–11 का अंशदान ₹248560/– से सम्बन्धित फंड में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व की अवधि की बकाया अंशदान की राशि की गणना अपने स्त्तर पर करके इसे फण्ड में जमा करवाया जाए व भविष्य में नियमित प्रकार से इस प्रभार/अंशदान को नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	परिषद का कुल स्वीकृत बजट	विभागीय प्रभार के फण्ड में बजट के 1% के बराबर जमा राशि	राशि जे जमा की जानी अपेक्षित थी	कम जमा कराशि
1	2010–11	24856000.00	शून्य	248560	248560
				योग	**248560**

44 वर्गीकृत खाता वहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 26 व 30 दिनांक 10.10.12 व 25.10.12 क्रमशः के उत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना (पत्र संख्या 1506 दिनांक 22.11.12) के अनुसार परिषद द्वारा आय व व्यय के मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षो के अन्तर्गत खाता वहियां तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता वहियां तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी मांग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता वहियां तैयार की जाएं किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना रोका जा सके तथा प्रत्येक मद का सही आंकड़े एक नजर देखे जा सके। कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगगत करवाया जाए।

45 झाडू टोकरा भत्ता का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह में निम्न कर्मचारियों को झाडू टोकरा भत्ता दिया गया जबकि इन्हें यह भत्ता देय नहीं था। ये कर्मचारी कार्यालय में सेवादार के पद पर तैनात थे। इसके अतिरिक्त यदि अंकेक्षण अवधि से पूर्व भी इस प्रकार का अनयमित भुगतान किसी कर्मचारी को किया गया की पड़ताल अपने स्त्तर पर करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

नाम	माह	दिया गया भत्ता	देय	जिस कारण भत्ता देय नहीं था
राजेन्द्र–I	4/10 व 07/11	100 (₹50/–प्रति माह की दर से)	शून्य	उक्त कर्मचारी कार्यालय में चपड़ासी के रूप में तैनात था
राजेन्द्र–II	4/10 व 07/11	100 (₹50/–प्रति माह की दर से)	शून्य	उक्त कर्मचारी कार्यालय में चपड़ासी के रूप में तैनात था।

46 डाक टिकट रजिस्टर बारे (Postage stamp register):–

अंकेक्षण के दौरान रजिस्टर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां/अनियमितताएं पाई गईः–

(i) ₹85/–की टिकट की अधिक खपत दिखाए जाने बारेः–

चयनित मासों 4/10 तथा 7/11 में दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 26.7.11 को टिकट का शेष ₹521/–के स्थान पर ₹436/–लिया गया था अर्थात ₹85/–के टिकटों का शेष कम दर्शाया गया है जिस की भरपाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ii) माह के अन्त में डाक टिकट के शेष का सत्यापन न किए जाने बारेः–

दर्ज प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रजिस्टर में कई स्थानों पर कटिंगस तथा ओवर राईटिंगस की गई थी तथा कटिंगस ओवर राईटिंगग तथा 6/11 से 3/12 तक टिकटों के शेषों का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। यह अनियमित है अनियमितता का कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

47 पैन्शन एवं ग्रेच्यूटी फण्डः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद की पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फण्ड की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(बैंक पास के अनुसार)

विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12
आरम्भिक शेष	859933.00	1235511.00
वर्ष में प्राप्त अंशदान/आय	986442.00	1672714.00
योग	1846375.00	2908225.00
वर्ष के दौरान व्यय	610864.00	1699907.00
अन्तिम शेष	1235511.00	1208318.00

पैन्शन व ग्रेच्युटी फण्ड के अभिलेख के अवलोकन करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः—

(क) नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के पैन्शन व ग्रेच्यूटी फण्ड का वर्षवार स्ववयाख्यात्मक लेखा तैयार नहीं किया जा रहा है जिसके अभाव में इन फण्डों में समय–2 पर कितनी राशि/अंशदान जमा हुए है की पुष्टि नहीं की सकी। अतः इस त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं उपरोक्त फण्डों का प्रारम्भ से अपेक्षित वर्षवार लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैन्शन, ग्रेच्युटी व सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 के नियम 3 (3) के अनुसार पालिकाओं द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड में क्रमशः 12**%** व 5**%** की दर से अंशदान किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अंशदान सृजत/स्वीकृत मदों के लिए किया जाना है चाहे वो पद भरे या खाली जैस कि शहरी निदेशालय के पत्र संख्या यूडी–एच(बी)(10)–3/08–4148–96 दिनांक 22.02.2011 में स्पष्ट किया गया है। परन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद के खाली पड़े पदों का अपेक्षित अंशदान पैन्शन व ग्रेच्युटी फण्ड में नहीं किया जा रहा है जोकि उपरोक्त वर्णित पत्र में दिए गए निर्देशों की अवलहेलना है। पाई गई त्रुटि के सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं परिषद द्वारा अपने स्त्तर पर खाली पदों का अपेक्षित अंशदान की गणना की जाए एवं सम्बन्धित फंड में राशि जमा करवाने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) उचित वित्तीय प्रबन्ध के अभाव में पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड में जमा से लगभग ₹95000/–की अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के पैन्शन एवं ग्रच्युटी फंड में लाखों ₹ कि राशि बिना उचित निवेश के बचत खातों में पड़ी थी। यदि इस राशि को समय समय पर उचित वित्तीय प्रबन्ध करते हुए सावधि जमा में निवेशित किया जाता तो इससे परिषद को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होनी निश्चित थी। अंकेक्षणाधीन अर्थात परिषद द्वारा इस निधि से कोई भी राशि निवेशित नहीं की गई जिस कारण परिषद ₹95000/–की आय की हानि हुई। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अतः यह सुझाया जाता है कि उपरोक्त फंडों में एकत्रित अधकतम राशि को विभिन्न सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि समय पड़ने पर किसी एक सावधि जमा को आवश्यकतानुसार परिपक्वता से पूर्व भुनाया जा सके एवं अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	**फंड में एकत्रित राशि**	**एकत्रित राशि का 90% जो कि सावधि जमा में निवेशित किया जा सकता था**	**5% की दर से अतिरिक्त आय को प्राप्त की जा सकती थी (लगभग)**
1	दिनांक 31.3.10 ₹859933	लगभग 775000	39000
2	दिनांक 31.3.11 ₹1235511	लगभग1100000	56000
			₹95000

(घ) पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कर्मचारियों के सी0पी0एस0 अंशदान के लिए परिषद में कोई भी अलग से बैंक खाता नहीं खोला है एवं उनके अंशदान की राशि को भी पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड के लिए खोले गए बैंक खात से ही जमा करवाया जा रहा है जिसमें से प्रतिमाह पैन्शन व कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के भुगतान किए जा रहे है। नियमानुसार सी0पी0एस0 अंशदान का निवेश अलग से किया जाना अपेक्षित है एवं इस इस अंशदान से अन्य कर्मचारियों के पैन्शन व ग्रेच्युटी भुगतान किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। नगर परिषद द्वारा प्रारम्भ से सी0पी0एस0 अंशदान की गणना अपने स्तर पर की जाए एवं

उक्त फंड की कुल राशि को एक अलग बैंक खाते में जमा करवाना सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

48 सामान्य भविष्य निधिः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में परिषद की सामान्य भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(बैंक पास बुक के अनुसार)

विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12
आरम्भिक शेष	3794858	3575684
वर्ष में प्राप्तियां/आय	1466459	2078203
योग	5261317	5653887
वर्ष के दौरान व्यय	1685633	1080455
अन्तिम शेष	3575684	4573432

सामान्य भविष्य निधि के अभिलेख के अवलोकन करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गईः–

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान किया गयाः–

कर्मचारी का नाम	**सेवानिर्मिती की तिथि**	**वा0सं0**	**माह**	**भुगतान की गई राशि**
श्री नत्थू राम (ड्राईवर)	31.7.10	22	08/10	527892
श्री देस राज (सफाई कर्मचारी)	31.10.10	51	10/10	65177
श्रीमती बिमला देवी (सफाई कर्मचारी)	31.1.12	36	01/12	161145
श्रीमती ज्ञानो (सफाई कर्मचारी)	31.7.11	52	07/11	125718

बार–2 मौखिक एवं लिखित रूप में (अधियाचना संख्या 30 दिनांक 25.10.12) मांगने पर भी उपरोक्त कर्मचारियों का प्रारम्भ से सामान्य भविष्य निधि लेखों को जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं उक्त अभिलेख को खोज कर जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) सामान्य भविष्य निधि रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कर्मचारियों के सा0भ0नि0 खातों में देय ब्याज की गणना नियमानुसार सही नहीं की जा रही है। ब्याज की अधिक/कम गणना की जा रही है जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैः–

	वर्ष 2010–11			**वर्ष 2011–12**		
कर्मचारी का नाम/पदनाम	**ब्याज जो दिया गया**	**ब्याज देय**	**अन्तर**	**ब्याज जो दिया गया**	**ब्याज देय**	**अन्तर**
श्री दिनेश कुमार (कलर्क)	7047	4331	(+)2716	16945	10562	(+)6383
श्री हेम राज (स0 पर्यवेक्षक)	23935	22266	(+)1669	33396	28782	(+)4614
श्री सोहन लाल (स0क0)	5120	4064	(+)1056	3815	5084	(–)1269
श्री राजिन्द्र कुमार (स0क0)	3313	3884	(–)571	4223	5900	(–)1677
श्री मोंहिन्द्र सिंह (स0क0)	12440	11400	(+)1040	17809	15374	(+)2435
श्री कृष्ण (बेलदार)	11855	10211	(+)1644	10690	11943	(–)1253
श्री सालिग (स0क0)	4649	3746	(+)903	9660	7327	(+)2333
			(+)8457			**(+)11566**

उपरोक्त सूचना से स्पष्ट है कि कुछ प्रकरणों में ही वर्ष 2010–11 में ₹8457/–अधिक व वर्ष 2011–12 में ₹11566/–अधिक राशि ब्याज के रूप में कर्मचारियों के खातों में परिषद द्वार दी गई। सभी कर्मचारियों की सा0भ0नि0 की गणना करने पर यह आंकड़ा काफी अधिक हो सकता है जो कि एक गम्भीर अनियमित है। उपरोक्त अनियमितता के दृष्टिगत उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं परिषद द्वारा अपने स्तर पर ही ब्याज की गणना वर्षवार नियमानुसार आरम्भ से करके कर्मचारियों के खातों में सही ब्याज दिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

49 माप पुस्तिका तथा मस्ट्रोल बिल में कृत कार्य का ब्यौरा न होने से ₹14140/–का संदिग्ध व्ययः–

निम्न विवरणानुसार चयनित माह में विभिन्न कार्यों के लिए मजदूरों को मस्ट्रोल द्वारा ₹14140/–का भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	वा0सं0	माह	अवधि	कार्य का विवरण	कुल दिन/दर	भुगतान की गई राशि
1	20	04/10	1.3.10 से 31.3.10	सफाई कार्य हेतु	31X110	3410
2	21	04/10	–यथोपरि–	डेवलैपमैन्ट कार्य हेतु	31X110	3410
3	26 (i)	07/11	1.5.11 से 31.5.11	विभिन्न बोर्डों से स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत करवाने हेतु	31X120	3720
4	26 (ii)	07/11	1.6.11 से 30.6.11	–यथोपरि–	30X120	3600
						14140

उपरोक्त मस्ट्रोंल के भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका शीध्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) उपरोक्त मस्ट्रोल में दर्शाए गए कार्यों का निष्पादन नगर परिषद के किस वार्ड/गली मे किया गया का विवरण न तो मस्ट्रोल व न ही अन्य किसी अभिलेख में दर्ज किया गया है। इस प्रकार मस्ट्रोलों द्वारा करवाये गए कार्य किस वार्ड/स्थान पर वास्तव में करवाये गए या केवल मस्ट्रोल द्वारा भुगतान ही दर्शाया गया की पुष्टि अभिलेख से नहीं होती है। यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होते है। अतः उपरोक्त त्रुटि के कारणों का उचित स्पष्टीकरण देते हुए भविष्य में मस्ट्रोलों पर कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) उपरोक्त किए गए कार्य की प्राप्ति को न तो माप पुस्तिका में और न ही अन्य किसी अभिलेख में दर्ज किया गया जिससे इन कार्यों के लिए जारी की गई सामग्री के उपयोग की जांच नहीं की सकी। अतः परिषद उपरोक्त मुरम्मत कार्यों की मदों का विस्तृत विवरण मापन पुस्तिका में दर्ज करने के साथ–2 समाान के उपयोग का विवरण भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(3) मस्ट्रोल के भाग ii व III को पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था जबकि नियमानुसार इसे पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करतु हुए भविष्य में इसे नियमानुसार उचित प्राकर से तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

50 प्रतिभूति राशि का भुगतान रसीद की फोटोस्टेट प्रति के आधार पर किया जानाः–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रतिभूति राशि का भुगतान नगर परिषद द्वारा प्रतिभूति की मूल रसीद की फोटोस्टेट प्रति के आधार पर ही किया जा रहा है जो की अनियमित है। उदाहरणार्थ वाउचर संख्या 29 एव 45, माह 04/10 एवं 07/11 द्वारा श्री गुरजिन्दर सिंह को ₹7500/–की प्रतिभूति राशि का भुगतान एवं श्री विजय कुमार को ₹3400/–का भुगतान बिल के साथ मूल रसीद की फोटोस्टेट लगाकर कर दिया गया जबकि बिल के साथ रसीद की मूल प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। ताकि प्रतिभूति राशि के भुगतान में अनियमितता की सम्भावना पर रोक लगााई जा सके।

51 बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए ट्रैक्टर की खरीद बारेः–

नगर परिषद द्वारा ₹450000/–मैसर्ज करण ट्रैक्टरस, एन0एच0 21, किशनपुरा, बद्दी जिला सोलन से महिन्द्रा ट्रैक्टर (मोडल नं0 275 डी 1) के क्रय पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) ट्रैक्टर खरीदते समय नियमानुसार विभिन्न विक्रेताओं से संविदाएं प्राप्त न करने से क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं (codal formalities) पूरी नहीं की गई जिस कारण बाजारी प्रतिस्पर्धा (market competietiveness) का लाभ नहीं उठाया जा सका जिस कारण नं0प0 निधि को वित्तीय हानि होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।

(ii) ट्रैक्टर एकल संविदा (sigle quataion) के आधार पर खरीदा गया परन्तु वाऊचर के साथ कम्पनी द्वारा विक्रेता के पक्ष में जारी अधिकृत विक्रेता (authorized dealer) का प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की अनुमोदित मूल्य सूची (approved price list) अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस कारण भुगतान के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(iii) वाउचर के साथ बिल नं0 110 दिनांक 3.01.12 की मूल प्रति संलग्न नहीं की गई। बिल की छाया प्रति के आधार पर भुगतान किया गया यह अनियमित है।

(iv) स्टॉक रजिस्टर/अभिलेख जिसमें ट्रैक्टर खरीद की प्रविष्टि दर्ज की गई थी अंकेक्षण में उपलग्ब्ध नहीं किया गया।

(v) अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से बताया गया कि ट्रैक्टर खरीद हेतु बजट में ₹500000/–का प्रावधान था परन्तु सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण बजट प्रावधान की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(vi) बिल सक्षम अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा भुगतान हेतु बिल पारित आदेश (bill pay order) तथा व्यय स्वीकृति (Expenditure senition) बिल के साथ नहीं पाई गई।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दर्शाइ जाए।

52 कन्स्ट्रक्शन ऑफ अहाता एण्ड वाईन शोपस इन वार्ड नं0 1 नीयर इन्दिरा अनाज मण्डी नालागढ़ (अवार्ड लैटर नं0 527 दिनांक 27.6.09 एजन्सर गुरदीत सिंह):–

वाउचर संख्या 42 (7/10)₹1039/–का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ₹1039/–के अधिक भुगतान बारेः–

निम्न कारणों से ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया पाया गयाः–

(i) आईटम नं0 14(i) प्रोवाईडींग फोम वर्क (फाउंडेशन फूटीग, बेसिस ऑफ कालम आदि) (एम0सी0 नं0 1/60 पृ0सं0 61):–

अन्तिम बिल में कुल की गई कार्य की मात्रा 120.90 मी^{2} के स्थान पर 126.90 मी^{2} आगे ले जाई गई। अतः ₹780/– (6 मी^{2} (126.90–120.90)X130 मी^{2}) का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) आईटम नं0 5 (iv) प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 (स्टेयर केस) (एम0न0 1/60 पृ0सं0 62):–

अन्तिम बिल में कुल करवाई गई कार्य की मात्रा 0.828 मी^{3} के स्थान पर 0.848 मी^{3} ली गई। इस प्रकार ₹54/–(0.02(0.848–0828)X2700/ मी^{3}) का अधिक भुगतान किया गया।

(iii) आईटम नं0 5/2, 12 एम0एम0 डाया रिनफोरसमैन्ट (एम0बी0नं0 1/60, पु0 संख्या 6):–

रिकार्ड एंटरी में चार बीमस (B11, B12,B13 तथा B14) की रिफोमैन्ट की गई परन्तु अन्तिम गणना में चार के स्थान पर 5 (पॉच) बीमस लिए गए। इस प्रकार चार रनिंग मीटर (20(5 नं0 X2X2)–16(पुनःX2X2) के हिसाब से ₹153/–(4rmtx0.89X43 प्रति किलो) का अधिक भुगतान किया गया।

(iv) एम0बी0 1/60, पृष्ठ संख्या–65:–

(क) अन्तिम बिल में कटौतियों का वास्तवकि योग ₹776777/–(15297(+)13303(+)66512(+)105800(+)575865) परन्तु यह योग ₹776725 लिया गया। इस प्रकार अन्तिम भुगतान गलत योग के कारण ₹52/–(776777–776725) की कम कटौती की कई तथा ठेकेदार को ₹52/–का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) टैन्डर नोटिस में प्रकाशित शर्त के अनुसार यह कार्य 3 माह मे ंसमाप्त किया जाना था। परन्तु कार्य को समाप्त होने में लगभग 1 वर्ष 2 माह (6.7.09 से 8.5.10) का समय लगाया गया संविदा की धाराओं के अनुसार केवल सक्षम अधिकारी की कारणों को ध्यान में रखते हुए कार्य समाप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकती थी परन्तु इस प्रकरण में ऐसा किया गया प्रतीत नही होता है क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज नस्ति में एवं वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गए।

(ग) कार्य के दौरान ₹251850/–(₹1095X230प्रति बैग) के 1095(910+185)सीमेन्ट बैग जारी किए गए परन्तु सीमेन्ट की खपत विवरणिका (consumption statement) न बनाए जाने के कारण वास्तव में कितने सीमेन्ट के बैग कार्य मे ंलगे पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

(घ) यह कार्य ₹1079499/–में एवार्ड किया गया परन्तु इसके लिए Justification of prates तैयार नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त एम0बी0संख्या 1/60 (पृष्ठ संख्या 64) के अनुसार इस कार्य पर ₹1240977 कुल खर्च हुए परन्तु ₹161478 (1240977–1079499) के अधिक व्यय (Deviation) को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं करवाया गया।

(ङ) संविदा की धार 6 के अनुसार वांन्छित कार्य समापन प्रमाण पत्र नस्ति में सलंग्न था एम0बी0में दिया गया नहीं पाया गया।

(च) सम्बन्धित माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टि करने की तिथियां पृष्ठ संख्या 56 तथा 59 पर नहीं लिखी गई थी।

(छ) टैण्डर खेलने के बाद दरों की तुलनात्मक विवरणिका में नगर परिषद प्रधान द्वारा हस्ताक्षर किए गए नहीं पाए गए।

(ज) कार्य प्रदान (work award) करने की शक्तियों से सम्बन्धित कार्यालय आदेश अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाए गए जिस कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकी। कि कार्यकारी अधिकारी के पास दस लाख से अधिक राशि के कार्य अवार्ड करने की शक्ति है या नहीं।

(झ) अंकेक्षण के दौरान यह मौखिक रूप से बताय गया था कि उपरोक्त कार्य का टैन्डर अखबारों में प्रकाशित किया गया था परन्तु अखबारों की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई।

(ञ) अवार्ड लेटर नं0 एम0सी0/एल0एल0जी0/वर्कस/2008–527 दिनांक 27.6.09 में कार्य एचपीएसआर 1999 से कितने**%** ऊपर अवार्ड किया गया, कितने समय में कार्य समाप्त करना था, जितनी पैनल्टी लगती थी आदि इस प्रकार की शर्ते जो भरी जानी आवश्यक थी वे भरी हुई नहीं पाई गई। इनका भरा जाना भविष्य में सुनिश्चित किया जाए। अतः उपरोक्त अनियमितताओं

के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक कार्रवाई करने के उपरान्त प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

53 कार्य का नाम — क्र/आफ स्ट्रीट फ्रोम सुरिन्दरा पब्लिक स्कूल टू वार्ड राना होटल अप टू एच/ओ श्री शरीफ मोहम्मद मिस्त्री इन वार्ड नं0 2 नालागढ़

संविदाकार	सुजल खान
संविदा संख्या	1492–94 दिनांक 24.10.2011
माप पुस्तिका संख्या	64 (पृष्ठ 03 से 07)
अवार्ड राशि	₹314080/–

वाऊचर संख्या 25 माह 03/12

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत पड़ताल में निॅम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(1) उपरोक्त निर्माण कार्य ₹314080/–का अवार्ड किया गया जिसके विरूद्ध ₹362572/–का निष्पादन किया गया जोकि अवार्ड किए गए कार्य से ₹48492/–(15.43**%**) से अधिक है। उपरोक्त अधिक भुगतान बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया जोकि अनियमित है। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(2) निर्माण कार्य में प्रयोग हुए सीमेन्ट की कोई भी खपत विवरणिका माप पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख में दर्ज नहीं की गई थी और न ही संविदाकार को परिषद से सीमेन्ट जारी किया गया था। संविदाकार ने कितना सीमेन्ट बाजार से क्रय किया के पक्ष में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव के कारण न तो यह ही स्पष्ट किया जा सका कि कार्य में कितना सीमेन्ट प्रयोग में लाया गया व कितना सीमेन्ट संविदाकार ने बाजार से कय किया। अतः सीमेन्ट खपत विवरणिका तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः सीमेन्ट खपत विवरण अब तैयार कर एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। साथ ही संविदाकार से उसके द्वारा निर्माण कार्य के लिए क्रय किए गए सीमेन्ट के पक्ष में बिल प्राप्त कर अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

(3) संविदा की धारा 6 के अनुसार वांन्छित कार्य समापन प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

54 अतिरिक्त/अन्य मदों पर ₹105878/–के अनियमित भुगतान बारेः–

निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्राकलन में जिन–जिन मदों पर कार्य किया जाना अपेक्षित था उन मदों के अतिरिक्त अन्य मदों पर कार्य किया जिनका न तो प्राकलन मे वर्णन या और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की थी, बिना सक्षम अधिकारी स्वीकृति के किए गए काम की अदायगी की जानी अनियमित थी। इस भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतिरिक्त मदों पर किए गए कार्य की क्या आवश्यकता थी के बारे में कोई तकनीकी टिप्पणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतिरिक्त मदों पर ₹105878/– का भुगतान किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	वा0सं0	माह	कार्य का नाम	संविदाकार	मद	जो कार्य किया	दर	राशि
1	39	04/10	क्र/आफ पार्क इन वार्ड नं0 7 न0प0 नालागढ़	भूपिन्दर सिंह	प्रोवाइडिंग फोर्म वर्क विद स्टील प्लेट (मद सं0 4)	106.35 मी2	100	10635
2	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	पी0एल0सी0 कंन्क्रीट 1:3:6 (मद सं0 5)	43. 868मी3	2150	94316
3	54	04/10	क्र/ऑफ सी0कंक्रीट पाथ नीयर बठका वाला कुंआ वार्ड नं0 9 न0प0 नालागढ़	विजय कुमार	मोकिंग चैकर्स ऑफ एपस्वड पैर्टन	92.69मी2	10	927
								₹105878

55 कार्य का नाम कन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्क इन वार्ड नं0 7 एम0सी0 नालागढ़

संविदाकार श्री भूपिन्द्र सिंह

संविदा संख्या 897 दिनांक 05.11.09

माप पुस्तिका संख्या 59

चलत बिल संख्या अन्तिम

वाउचर संख्या 39 माह 04/2010

उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच में निम्नलिखित कमियां पाई गईः–

(1) मद संख्या 7 के द्वारा ₹86164/–का भुगतान "स्टील वर्क वर्नेडड इन बिल्ट अप सैक्सन" 16.57 क्विंटल स्टील के लिए ₹5200/–प्रति कि0 स्टील की दर से किया गया परन्तु रिकार्ड प्रविष्टि की जांच में यह पाया गया कि उपरोक्त मद का विस्तारपूर्वक ब्यौरा जैसे की कितने एम0एम0 का कितना स्टील कार्य के लिए प्रयुक्त किया गया एम0बी0 में नहीं दर्शाया गया। माप पुस्तिका में सीधे ही 16.57 कंवीटल सरिया प्रयुक्त किया गया दर्शाया गया जोकि अनियमित है। विस्तारपूर्वक ब्यौरे के अभाव में कार्य की गुणवता एवं स्टील की उपभोग की जांच नहीं की जा सकती। अतः तकनीकी रूप से इस्तेमाल किए गए स्टील का विस्तृत ब्यौरा माप पुस्तिका में दर्शाकर अनुपालना जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

(2) निर्माण कार्य की तुलनातमक विवरणी की जांच के दौरान यह पाया गया की कार्य श्री भूमिन्द्र सिंह को ₹327899.00 के लिए आंबटित किया गया जबकि सबसे कम दर श्री हितेश ठाकुर ने ₹277314.00 दी थी। कार्य दूसरे सबसे कम दर देने वाले संविदाकार श्री भूपिन्द्र सिंह को क्यों दिया गया का कोई भी स्पष्टीकरण अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि तुलनात्मक विवरणी पर प्रधान/कार्यकारी अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। इससे यह प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने ही स्त्तर पर दूसरे सबसे कम दर देने वाले संविदाकार को कार्य आंबटित कर परिषद को ₹50,585.00 (₹327899.00–₹277314.00) का नुकसान पहुंचाया गया जो कि अपने आप में एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। अतः यह प्रकरण उच्च्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आगामी आवश्यक जांच/कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(3) निर्माण कार्य में संविदाकार को 130 बैग सीमेन्ट जारी किया गया व संविदाकार द्वारा 200 बैग सीमेन्ट स्वयं क्रय किया दर्शाया गया। अतः निर्माण कार्य में 330 बैग सीमेन्ट का उपयोग किया गया प्रदर्शित किया गया परन्तु तकनीकी शाखा द्वारा सीमेन्ट का विस्तृत उपयोग विवरण

माप माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में प्रयोग किए गए सीमेन्ट की खपत की मात्रा की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे उचित स्पष्टीकरण देते हुए अपेक्षित विस्तृत उपभोग विवरण बनाया जाना एवं माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

56 कार्य का नाम C/O नाल्हा/ड्रेन फ्रोम एच/एफ श्री के0के0 शर्मा अपटू रख रोड

संविदाकार श्री भूपिन्द्र सिंह

संविदा संख्या 900 दिनांक 05.11.09

माप पुस्तिका संख्या 60 पृ0सं0 12 से 15

(क) उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच में पाया गया कि मद (संख्या 3) प्रोवाईडिंग फोरम वर्क विद स्टील प्लेटस 3.15 एमएम थिक की माप पुस्तिका (पृ0सं0 13) में गलत गणना निम्न विवरणानुसार ₹7056.00 का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित है। अतः संस्था स्तर पर उचित जांच करके अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

कार्य का विवरण		**गणना जो की गई**	**सही गणना**	**अन्तर**
RD 0/0 से 15.00 मी0	1 No.x2x15x.45	27.00एम2	13.5एम2	13.5एम2
RD 15 से 30 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 30 से 45 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 45 से 60 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 60 से 75 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 75 से 90 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 90 से 105 मी0	1 No.x2x15.0x.45	27.00एम2	13.5	13.5एम2
RD 105 से 112 मी0	1 Nox7.00x2x.45	12.60एम2	6.3	6.3एम2

	201.60एम2	100.8एम2	100.8एम2
दर	70 / एम2		
अधिक भुगतान	**100.8एम₹70=7056**		

(2) उपरोक्त निर्माण कार्य में संविदाकार का 140 बैग सीमेन्ट जारी किया गया। माप पुस्तिका में एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख में कहीं पर भी तकनीकी शाखा द्वारा सीमेन्ट खपत का विस्तृत विवरण दर्ज नहीं किया गया है यह गम्भीर अनियमितता है। सीमेन्ट खपत विवरण की अभाव में जारी किए गए सीमेन्ट की खपत विवरण की अभाव में जारी किए गए सीमेन्ट की खपत पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

स्टोर–स्टॉकः–

57 स्टोर / स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 30 दिनांक 25.10.12 द्वारा स्टोंर / स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन किए जाने सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमानुसार फिजिकल वेरिफिकेशन नियमित रूप से नहीं की जा रही है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अभाव में न तो स्टोर / स्टॉक की वास्तविक स्थिति का बोध होता है और समय रहते इस्तेमाल न हो सकने वाले (Unserviceable) स्टोर / स्टॉक की नियमानुसार बिक्री (नीलामी द्वारा) न किए जाने से नगर परिषद निधि को नुकसान भी होता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा भविष्य में इसका नियमित रूप से कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

58 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर संख्या 55 की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां / अनियमितताएं पाई गईः–

(i) दिनांक 5.10.10 को ₹9295 / – (50X185.90 प्रति बैग) के 50 सीमेन्ट बैग शेष (Balance) में कम लिए गए थे। स्टॉक रजिस्टर (पृष्ठ संख्या 16) दिनांक 5.10.10 को सीमेन्ट बेग का

आरम्भिक शेष 660 था। उसी दिन 50 बैग जारी किए गए परन्तु अन्तशेष 610 बैगस न लेकर 560 बैग लिया गया। इस प्रकार अन्त शेष में 50 बैग कम लिए गए। अंकेक्षण अवधि के दौरान या बाद में भी स्टॉक रजिस्टर में इस त्रुटि का संशोधन नहीं किया गया पाया गया जबकि दिनांक 1.4.11 को समस्त बैग जारी करने के पश्चात शेष शून्य दर्शाया गया। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए **₹**9295/—की वसूली उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाया जाए।

(ii) सीमेन्ट बैग की खरीद तथा खपत से सम्बन्धित वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 31 दिनांक 31.10.12 द्वारा अंकेक्षण अवधि में सीमेन्ट बैग की खरीद तथा खपत से सम्बन्धित वाउचर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था ताकि सीमेन्ट बैग की खरीद तथा विभिन्न कार्यों में खपत की पड़ताल की जा सके परन्तु अंकेक्षण कार्य समाप्त होने तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण सीमेन्ट की खरीद तथा खपत की पड़ताल नहीं की जा सकीं। मौखिक तौर पर भी कई बार आग्रह किया गया था परन्तु इसके बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः कारण स्पष्ट करने के साथ—2 सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में सीमेन्ट खरीद व खपत से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

(iii) दिनांक 9.4.10 (पृष्ठ संख्या 13) तथा 3.6.'10 (पृष्ठ संख्या 14) पर जारी की गई सीमेन्ट बैग की मात्राओं में ओवर राईटिंग की गई प्रतीत होती है तथा इन ओवर राईटिंग का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया गया पाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 1.4.10 से 31.3.12 तक स्टॉक रजिस्टर में सीमेन्ट की खरीद जारी तथा शेषों का किसी भी तिथि को सत्यापन किया गय। अतः स्थिति स्पष्ट करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(v) निम्नलिखित तिथियों को 425 सीमेन्ट बैग जारी किए गए परन्तु सीमेन्ट बैग प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में (स्तम्भ column—9) नहीं थे। अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

तिथि	जितने सीमेन्ट बैग जारी किए गए
10.9.10	20
10.9.10	30
20.8.10	30
21.8.10	100
15.9.10	35
5.10.10	50
12.10.10	10
15.11.10	50
21.11.10	50
28.11.10	50
	425 बैगस

उपरोक्त अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए सीमेन्ट के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारी के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

59 तारकोल स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

तरकोल स्टॉक रजिस्टर संख्या–47 की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कमियॉ/अनियमितताएं पाई गईः–

(i) तारकोल ड्रम के वास्तविक शेष से अधिक जारी /खपत दिखए जाने बारेः–

स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 10.5.08 (पृष्ठ संख्या 47) को 107 तारकोल ड्रम शेष थे दिनांक 19.6.08 को स्टॉक रजिस्टर पर फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान की गई टिप्पणी के अनुसार 89 ड्रम पूरे भरे हुए तथा 9 ड्रम आधे भरे हुए दिखाए गए थे। दिनांक 20.6.09 को 107 ड्रम आगे ले जाए गए (carry forward) दिखाए गए तथा दिनांक 6.12.09 तक 107 ड्रम का जारी/खपत भी दिखा दी गई। जब उपरोक्त तिथि को केवल 89 ड्रम पूरे भरे तथा 9 ड्रम आधे भरे ही शेष थे तो दिनांक 6.12.09 तक 107 ड्रम का जारी/खपत दिखाना सम्भव व सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अवधि 10.5.08 से 6.12.09 तक स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टियों के अनुसार

तारकोल ड्रम की खरीद भी नहीं की गई है। अतः कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) तारकोल ड्रम की खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 31 दिनांक 31.10.12 द्वारा तारकोल ड्रम की अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान खपत से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के लिए आग्रह किया गया था ताकि तारकोल की नियमानुसार खपत की पूर्ण पड़ताल की जा सके परन्तु अंकेक्षण कार्य समाप्त होने तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण खपत की पड़ताल नहीं की जा सकी। अंकेक्षण के दौरान बाद में भी कई बार मौखिक तौर पर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था। परन्तु इसेक बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः कारण स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण में यह अभिलेख प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में तारकोल की खपत से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) तारकोल ड्रम खाली से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 31 दिनांक 31.10.12 द्वारा तारकोल के खाली ड्रम की स्थिति सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेख के अभाव के कारण वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह अभिलेख पिछले अंकेक्षण के दौरान भी मांगे गए थे तथा यह एक अत्यन्त लापरवाही का विषय है कि अभी तक कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इन अभिलेखो का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः कारण स्पष्ट करने तथा अभिलेख के प्रस्तुति सुनिश्चित करने के साथ–2 इस कारण से नगर परिषद निधि को जो हानि हुई है उसकी भरपाई सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) तारकोल स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियो ंका सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि तारकोल ड्रम के स्टॉक रजिस्टर में खरी/जारी सम्बन्धी प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

जिससे यह स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा इन अभिलेखो ंका निरीक्षण नहीं किया जाता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टॉक का सत्यापन नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त अनियमितताओं चलते तारकोल के दुरूप्योग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्त्तर पर अवधि 4/10 से 3/12 तक तारकोल के ड्रमों के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

लॉग बुकः–

60 ट्रैक्टर ट्रली के किराये से सम्बन्धित ₹6000 (₹2400+₹3600) के अधिक भुगतान तथा ट्रैक्टर ट्राली को किराये पर लेने सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

(i) ट्रैक्टर संख्या (एच0पी0ए0–7792) की लॉग बुक की जांच पर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि खराबी के चलते दिनांक 8.6.11 के पश्चात यह ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं किया गया था इसके पश्चात कार्य चलाने हेतु ट्रैक्टर ट्राली ₹400 प्रति चक्कर की दर से नगर परिषद द्वारा किराये पर ली गई। लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 14.6.2011 से 17.7.2012 तक पृष्ठ संख्या 23 से 26 ट्रैक्टर ट्राली ने 198 चक्कर लगाए तथा ₹400प्रति चक्कर की दर से ₹79200 (198X400) का भुगतान किया जाना चाहिए था परन्तु वास्तव में ₹81600 का भुगतान किया गया इस प्राकर ₹2400/– (81600–79200) का अधिक भुगतान किया गया विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है अतः ₹2400/–का अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि परिषद खाते मेंजमा करवाई जाए।

क्र0सं0	दिनांक से	तक	कुल चक्कर	जितनी राशि बनती थी	जितना भुगतान किया गया	अधिक भुगतान	लॉग बुक पृ0सं0
1	14.6.11	9.8.11	12	12X400त्र4800	7200	2400	23
2	6.9.'11	13.9.11	6	16X400त्र2400	2400	—	24
3	22.9.11	30.9.11	17	17X400त्र6800	6800	—	24

4	1.10.11	31.10.11	52	52X400त्र20800	20800	—	24
5	1.11.11	30.11.11	42	42X400त्र16800	16800	—	25
6	2.12.11	31.12.11	44	44X400त्र17600	17600	—	25
7	2.1.12	17.1.12	25	25X400त्र10000	10000	—	26
		कुल	**198**	**79200**	**81600**	**2400**	

(ii) नगर परिषद द्वारा नए ट्रैक्टर (एच0पी0–12–5131) का उपयोग दिनांक 12.1.12 से आरम्भक कर दिया था जैसा की लॉग बुक की पृष्ठ संख्या 28 से दर्ज प्रविष्टियों से स्पष्ट है। इसके बावजूद नं0प0 द्वारा किराये पर ली गई ट्राली का उपयोग दिनांक 17.1.12 तक जारी रखा गया। इस कारण से सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को निम्न विवरण के अनुसार ₹3600/– (9 चक्करX400) का भुगतान किया गयाः–

दिनांक	चक्करों की सं0	लॉग बुक पृ0सं0
12.1.12	2	26
14.1.12	2	11
15.1.12	2	11
17.1.12	3	11
कुल चक्कर	**9**	

अतः यह स्पष्ट किया जाए कि जब दिनांक 12.1.12 को नए ट्रैक्टर का इस्तेमाल न0प0 के कार्यों के लिए आरम्भ कर दिया था तो किराये की ट्राली का इस्तेमाल 17.1.12 तक क्यों जारी रखा गया इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। जोकि अपना ट्रैक्टर इस्तेमाल करके यह व्यय बचाया जा सकता था

(iii) अंकेक्षण के दौरान बार–2 मौखिक आग्रह करने के बावजूद निविदाएं/दर तुलनात्मक इत्यादि जिनके आधार पर ट्रैक्टर ट्राली ₹400/– प्रति चक्कर की दर से किराया निर्धारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किए गये इसके अतिरिक्त ₹81600/–के भिन्न–2 तिथियों में किए गए भुगतान के समर्थन में रसीदं भी नहीं दिखाई गई।

अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः स्थिति स्पष्ट करने के साथ उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया सुनिश्चित किया जाए।

लॉग बुक्सः—

61 **डम्पर प्लेसर एच0पी0—12—9792:—**

डम्पर प्लेसर की अवधि 4/10 से 3/12 तक की लॉग बुक के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) लॉग बुक में स्पीडोमीटर की रीडिंग कीप्रविष्टियां न किए जाने बारेः—

लॉग बुक की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 6/11 से 3/12 तक स्पीडोमीटर रीडिग की प्रविष्टियां लॉग बुक में सम्बन्धित स्तम्भों (Columns) 6 तथा 7 में नहीं की गई थी। इस कारण डम्पर द्वारा 4/10 से 3/12 तक (Kms में) तय दूरी तथा उसके अनुसार अनुमानित तेल की खपत का मूल्य नहीं निकाला जा सका। स्पीडोमीटर रीडिंग का तिथिवार (Date with) लॉग बुक में न दर्ज किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ—2 नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान जितने मूल्य की डीजल की खपत की गई है उसको सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवा के अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ii) डम्पर की औसत तेल खपत (कि0मी0 प्रति लीटर) निर्धारित न किए जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वाार निर्धारित डम्पर की औसत तेल खपत से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण डम्पर की औसत तेल खपत बारे जांच नहीं की जा सकी।

माह	औसत तेल खपत
4/10	7.82 (कि0मी0 प्रति लीटर)
6/10	6.10 (कि0मी0 प्रति लीटर)
9/10	5.65 (कि0मी0 प्रति लीटर)
10/10	5.17 (कि0मी0 प्रति लीटर)
12/10	6.41 (कि0मी0 प्रति लीटर)
1/11 से 3/12	औसत तेल खपत नहीं निकाली गई।

अतः माह 1/11 से 3/12 तक मासिक औसत तेल खपत न निकालना एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अवधि की औसत तेल खपत भी निकाली जाए। सक्षम अधिकारी से शीघ्र औसत मासिक तेल खपत निर्धारित करवाके अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान जिन माहों में औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम

पाई जाए तो उतने मूल्य के तेल की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(iii) लॉग बुक में स्पीडोमीटर द्वारा दर्शाई गई रीडिंग में कटिंग/ओवर राईटिग किए जाने बारेः–

अंकेक्षण में लॉग बुक की जांच करने के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित महीनें में स्पीडोमीटर की रीडिगस में कटिंग तथा ओवर राईटिंग की गई थीः–

माह	**विवरण**
4/10	पूरे माह की रीडिंगस में कटिंग की गई थी
5/10	–यथोपरि–
6/10	कई तिथियों में प्रविष्टियों में कटिंग की गई थी।
9/10	मासिक औसत तेल खपत निकालने सम्बन्धी प्रविष्टियों में ओवर राईटिंग
10/10	–यथोपरि–
12/10	स्पीडोमीटर रीडिंगस में कटिंग
1/11	–यथोपरि–
6/11 से 3/12 तक	स्पीडोमीटर रीडिंगस की प्रविष्टियॉ नहीं की गई।

लॉग बुक में रीडिंग की इतनी अधिक मात्रा में कटिंग तथा सक्षम अधिकारी द्वारा उनका सत्यापन न किया जाना तथा लॉग बुक में 6/11 से 3/12 तक प्रविष्टियॉ न किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः इस सन्दर्भ में जॉच तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(iv) लॉग बुक में प्रत्येक वार्ड से डंपिंग स्थान तक डम्पर द्वारा तय दूरी दर्ज न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डम्पर रोजाना विविभन्न वार्डों से कूड़ा उठा कर डपिंग स्थान पर फैंकता है। एक वार्ड से दूसरा वार्ड तथा प्रत्येक वार्ड से डंपिंग स्थान एक निश्चित दूरी पर स्थित है। प्रत्येक वार्ड से डपिंग स्थान तक तथा एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक डम्पर द्वारा तय दूरी लॉग बुक में अलग से दर्ज की जानी अपेक्षित है परन्तु ऐसा न करके रोजाना विभिन्न वार्डों से डंपिंग स्थान तक डम्पर द्वारा कुल तय दूरी ही दर्शाई जा रही है जिसके चलते तय कुल दूरी की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः तेल (डीजल) की

दुरूपयोग की सम्भावना को रोकने हेतु लॉग बुक में एक वार्ड से दूसरे वार्ड तथा वार्ड से डम्पिंग स्थान तक तय दूरी का कि0मी0 में अलग–2 विवरण दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर पर विभागीय जॉच करके यह पता लगाया जाए कि अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त कारण से कहीं डीजल की खपत जरूरत से अधिक तो नहीं की गई और यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी से उतनी राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(v) लॉग बुक का नियमानुसार रख–रखाव न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डम्पर प्लेसर की लॉग बुक का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुक में दर्ज प्रविष्टियों को तथा डीजल की औसत मासिक खपत की गणनाओं को लगभग लॉग बुक में कहीं भी सत्यापित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त लॉग बुक में इतनी अधिक मात्रा में कटिंग तथा ओवर राईंटिंग के चलते डम्पर तथा डीजल के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 इस विषय में विभागीय जॉच करवार के तथा नियमानुसार कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। भविष्य में लॉग बुक का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

62 ट्रैक्टर (संख्या–एच0पी0ए0–7792):–

उपरोक्त ट्रैक्टर मास (6/11 के पश्चात खराबी के चलते इस्तेमाल नहीं किया गया) लॉग बुक के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका शीध्र समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) लॉ बुक में अवधि 1.4.10 से 8.6.11 तक दर्शाई गई ₹10890/–की डीजल की खपत को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लॉग बुक में स्पीडोमीटर की रींडिंग के अनुसार 1.4.10 से 8.6.11 तक ट्रैक्टर 1289 (32697 (8.6.11 को)–31408(1.4.10 को)) घण्टे चला था। ट्रैक्टर की अधिकतर मासों में औसत तेल खपत 2.10 लीटर/घण्टा है जिसके अनुसार उपरोक्त अवधि में ट्रैक्टर में 2707 लीटर (1289X2.10) डीजल की खपत हुई 2707 लीटर का कुल मूल्य माह मार्च 1/12 में डीजल की ₹40.23 प्रति लीटर कीमत के अनुसार लगभग ₹10890/–बनता है। परन्तु लॉग बुक कहीं भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न किए जाने के कारण ₹10890/–के डीजल पर व्यय को अंकेक्षण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः लॉग बुक को सक्षम

अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस विषय में अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ii) ट्रैक्टर की औसत तेल खपत से सम्बन्धित दस्तावेज न दिखाए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित ट्रैक्टर की औसत तेल खपत से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण ट्रैक्टर की औसत तेल खपत जोकि 2 लीटर प्रति /घण्टे अधिकतर मासों में पाई गई जैसा की नीचे दिए गए विवरण से स्पष्ट है इस को पुनः जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए।

मास	औसत	तेल खपत
4/10	2.09	लीटर/घण्टें
5/10	2.10	लीटर/घण्टें
6/10	2.10	लीटर/घण्टें
7/10	2.10	लीटर/घण्टें
9/10	2.55	लीटर/घण्टें
11/10	2.10	लीटर/घण्टें
12/10	2.10	लीटर/घण्टें
2/11	2.10	लीटर/घण्टें
3/11	2.20	लीटर/घण्टें
5/11	2.10	लीटर/घण्टें

अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शीध्र औसत तेल खपत निर्धारित करवा के अवधि 4/10 से 6/11 के दौरान जिन मासों में औसत तेल खपत निर्धारित औसत तेल खपत से कम पाई जाती है तो उतने मूल्य की डीजल की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(iii) लॉग बुक का नियमानुसार रख–रखाव न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लॉग बुक में माह 4/10 से 7/10 तक टरैक्टर का प्रयोग कहॉ–2 किया गया जानकारी लॉग बुक के सम्बन्धित कालम में दर्ज नहीं की गई थी। 5.1.11 से 31.1.11 तक तथा 12.5.11 से 14.5.11 तक स्पीडोमीटर की रीडिंग में कटिंग की गई थी। लॉग बुक में डीजल की मासिक औसत खपत सम्बन्धी गणनाएं तथा अन्य प्रविष्टियॉ कहीं पर भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। उपरोक्त अनियमितताओं से स्पष्ट है कि लॉग बुक का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।

अतः कारण स्पष्ट करने के साथ–2 विभागीय स्त्तर पर जॉच करवा के नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाए।

63 ट्रैक्टर (नया) (संख्या एच0पी0–12–5131):–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नए ट्रैक्टर को दिनांक 12.1.12 से उपयोग करना आरम्भ किया गया परन्तु अवधि 12.1.12 से 31.3.12 तक लॉग बुक में स्पीडोमीटर रीडिंग की प्रविष्टियां दर्ज नहीं की गई थह। लॉग बुक में की गई प्रविष्टियों की, डीजल की औसत मासिक खपत सम्बन्धी गणनाओं की तथा कटिंग/ओर राईंटिंग का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके तथा ट्रैक्टर की औसत डीजल खपत सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित करवा के अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। भविष्य मे ंउपरोक्त अनियमितताओं का पुनः न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

64 विविधः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 30 दिनांक 25.10.12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि या तो इन अभिलेखों का रख–रखाव ही नहीं किया जा रहा है या रख रखाव सही ढंग से नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन अभिलेखों के सही रख रखाव तथा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i) स्थापना चैक रजिस्टर (Establishment check Register)

(ii) पैन्शन रजिस्टर (Pension Register)

(iii) कार्य रजिस्टर (Works Register)

(iv) टैन्डर रजिस्टर (Tender Register)

(v) एम0ए0एस0 रजिस्टर (Material at site Register)

(vi) प्रतिभूति प्राप्ति रजिस्टर (Earnest Money Register)

(vii) टैन्डर मनी रजिस्टर (Tender money Register)

(viii) कोन्ट्रैक्टर लैजर (Contractor ledger) तथा

(ix) इनवेन्टरी रजिस्टर (Inventory Register)

65 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण के दौरान अलग से जारी नहीं की गई।

66 **निष्कर्षः—** लेखों में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः परिषद लेखों के उचित रख—रखाव के साथ साथ लम्बित अंकेक्षण पैरों पर उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः V (10) फिन(एल0ए0डी) —3-2946-47- दिनांक, 03.05.2013 शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
2. सचिव, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट–"क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52

1	पैरा–6 (ए) (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए) (6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–12	अनिर्णीत
3	पैरा–15	अनिर्णीत

(ग) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/65

1	पैरा–8 (2) (बी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक

1	पैरा–9	अनिर्णीत
2	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (जी)	अनिर्णीत
5	पैरा–18	अनिर्णीत
6	पैरा–21 (जी)	अनिर्णीत
7	पैरा–23 (बी)	अनिर्णीत

च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक

1	पैरा–7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (4)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (10)	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (19)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (20)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (डी) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (डी) (2)	अनिर्णीत

15	पैरा—14 (सी)	अनिर्णीत
16	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
17	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
18	पैरा—16	अनिर्णीत
19	पैरा—17	अनिर्णीत
20	पैरा—20	अनिर्णीत
21	पैरा—23	अनिर्णीत
22	पैरा—24	अनिर्णीत
23	पैरा—25	अनिर्णीत
24	पैरा—27	अनिर्णीत
25	पैरा—28	अनिर्णीत
26	पैरा—29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80

1	पैरा—6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा—12 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा—12 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा—12 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा—12 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा—12 (जी)	अनिर्णीत
11	पैरा—14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—16	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17	अनिर्णीत

(ञ) सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.81 की निरीक्षण रिपोर्ट

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत

7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए) (i)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (ए) (ii)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (एल)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एन)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (पी)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–16 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा–18 (ए)	अनिर्णीत
23	पैरा–18 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा–19 (ए)	अनिर्णीत

25	पैरा—19 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा—20 (जी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा—5 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा—7 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—7 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा—9	अनिर्णीत
11	पैरा—10 (1)	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—11 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—11 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—11 (4)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (डी)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (ई)	अनिर्णीत
21	पैरा—13 (बी)	अनिर्णीत
22	पैरा—13 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा—13 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत

25	पैरा—15 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
27	पैरा—15 (डी)	अनिर्णीत
28	पैरा—15 (ई)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (एफ)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (जी)	अनिर्णीत
31	पैरा—15 (एच)	अनिर्णीत
32	पैरा—15 (आई)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (जे)	अनिर्णीत
34	पैरा—16	अनिर्णीत
35	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा—17 (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा—17 (डी)	अनिर्णीत
38	पैरा—18 (ई)	अनिर्णीत

(ढ़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक

1	पैरा—3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (ए) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (ए) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (ए) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा—6 (ए)	आंशिक निर्णीत (₹9078.84 की वसूली शेष)
6	पैरा—6 (बी)	आंशिक निर्णीत (₹9028.00 की वसूली शेष)
7	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
8	पैरा—7	अनिर्णीत
9	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा—8 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा—9 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा—11	अनिर्णीत
13	पैरा—12 (ए)	अनिर्णीत

14	पैरा–12 (डी)	अनिर्णीत
15	पैरा–12 (ई)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (एफ)	अनिर्णीत
17	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–13 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (आई)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (जे)	अनिर्णीत
27	पैरा–15 (के)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (एम)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (एन)	अनिर्णीत
30	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
32	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
33	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–18 (5)	अनिर्णीत
38	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत

(ण) लघु आपत्तियाँः–

4/74 से 3/79	9 व 11 अनिर्णीत
4/79 से 3/80	5 व 8 अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (जी)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा–5 (जे)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा–7 (बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा–7 (सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा–8	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (ए) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–16 (ए) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–16 (ए) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–16 (ए) (4)	अनिर्णीत
20	पैरा–17 (बी) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–17 (बी) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–17 (बी) (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–18	अनिर्णीत
24	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–20 (ई)	अनिर्णीत
26	पैरा–20 (एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा–20 (जी)	अनिर्णीत

28	लधु आपत्तियॉ 4, 6 व 7	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक

1	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ग) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (ग) (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ग) (5)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (ङ)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
13	पैरा–7 (क)	आंशिक निर्णीत
14	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–12 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–12 (ग)	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (ङ)	अनिर्णीत
20	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
21	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
22	पैरा–15 (2) (सी)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (2) (i)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (2) (ii)	अनिर्णीत
25	पैरा–15 (2) (iii)	अनिर्णीत
26	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत

27	पैरा—15 (4)	अनिर्णीत
28	पैरा—15 (4) (i)	अनिर्णीत
29	पैरा—15 (4) (ii)	अनिर्णीत
30	पैरा—15 (4) (iii)	अनिर्णीत
31	पैरा—15 (4) (iv)	अनिर्णीत
32	पैरा—15 (5) (i)	अनिर्णीत
33	पैरा—15 (5) (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा—15 (6) (i)	अनिर्णीत
35	पैरा—15 (7) (i)	अनिर्णीत
36	पैरा—15 (7) (ii)	अनिर्णीत
37	पैरा—15 (7) (iii)	अनिर्णीत
38	पैरा—15 (7) (iv)	अनिर्णीत
39	पैरा—15 (8) (i)	अनिर्णीत
40	पैरा—15 (8) (ii)	अनिर्णीत
41	पैरा—15 (8) (iii)	अनिर्णीत
42	पैरा—15 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा—15 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा—16 (i)	अनिर्णीत
45	पैरा—16 (ii)	अनिर्णीत
46	पैरा—16 (iii)	अनिर्णीत
47	पैरा—16 (iii) (i)	अनिर्णीत
48	पैरा—16 (iii) (ii)	अनिर्णीत
49	पैरा—16 (iii) (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा—16 (iii) (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा—16 (iii) (v)	अनिर्णीत
52	पैरा—16 (iii) (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा—16 (iii) (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा—16 (iii) (viii)	अनिर्णीत
55	पैरा—16 (iii) (ix)	अनिर्णीत

56	पैरा—16 (iii) (x)	अनिर्णीत
57	पैरा—16 (iii) (xi)	अनिर्णीत
58	पैरा—16 (iii) (xii)	अनिर्णीत
59	पैरा—16 (iii) (xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा—16 (iii) (xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा—16 (iii) (xv)	अनिर्णीत
62	पैरा—16 (iii) (xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा—16 (iii) (xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा—16 (iii) (xix)	अनिर्णीत
65	पैरा—16 (iii) (xx)	अनिर्णीत
66	पैरा—16 (iii) (xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा—16 (iii) (xxii)	अनिर्णीत
68	पैरा—16 (iii) (xxiii)	अनिर्णीत
69	पैरा—16 (iii) (xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा—16 (iii) (xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा—16 (iii) (xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा—16 (iii) (xxvii)	अनिर्णीत
73	पैरा—16 (iii) (xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा—16 (iii) (xxix)	अनिर्णीत
75	पैरा—17 (घ)	अनिर्णीत
76	पैरा—18 (क) (i)	अनिर्णीत
77	पैरा—18 (क) (ii)	अनिर्णीत
78	पैरा—18 (ख) (i)	अनिर्णीत
79	पैरा—18 (ख) (ii)	अनिर्णीत
80	पैरा—18 (ख) (iii)	अनिर्णीत
81	पैरा—18 (ख) (iv)	अनिर्णीत
82	पैरा—18 (ग)	अनिर्णीत
83	पैरा—18 (घ)	अनिर्णीत
84	पैरा—19 (क) (i)	अनिर्णीत

85	पैरा—19 (क) (ii)	अनिर्णीत
86	पैरा—19 (क) (iii)	अनिर्णीत
87	पैरा—19 (क) (iv)	अनिर्णीत
88	पैरा—19 (क) (v)	अनिर्णीत
89	पैरा—19 (क) (vi)	अनिर्णीत
90	पैरा—19 (क) (vii)	अनिर्णीत
91	पैरा—19 (क) (viii)	अनिर्णीत
92	पैरा—19 (ख)	अनिर्णीत
93	पैरा—20	अनिर्णीत
94	पैरा—21 (i)	अनिर्णीत
95	पैरा—21 (ii)	अनिर्णीत
96	पैरा—22 (i)	अनिर्णीत
97	पैरा—22 (ii)	अनिर्णीत
98	पैरा—22 (iii)	अनिर्णीत
99	पैरा—22 (iv)	अनिर्णीत
100	पैरा—22 (v)	अनिर्णीत
101	पैरा—23	अनिर्णीत
102	पैरा—24 (क)	अनिर्णीत
103	पैरा—24 (क) (2)	अनिर्णीत
104	पैरा—24 (ख)	अनिर्णीत
105	पैरा—24 (ग)	अनिर्णीत
106	पैरा—24 (घ)	अनिर्णीत
107	पैरा—24 (ङ)	अनिर्णीत
108	पैरा—27	अनिर्णीत
109	पैरा—29 (क)	अनिर्णीत
110	पैरा—30	अनिर्णीत
111	पैरा—31	अनिर्णीत
112	पैरा—32	अनिर्णीत
113	पैरा—33 (1) (i)	अनिर्णीत

114	पैरा–33 (1) (ii)	अनिर्णीत
115	पैरा–33 (1) (iii)	अनिर्णीत
116	पैरा–33 (1) (iv)	अनिर्णीत
117	पैरा–33 (ख) (1)	अनिर्णीत
118	पैरा–33 (ख) (3)	अनिर्णीत
119	पैरा–33 (ख) (4)	अनिर्णीत
120	पैरा–33 (ख) (5)	अनिर्णीत
121	पैरा–33 (ख) (6)	अनिर्णीत
122	पैरा–33 (ख) (7)	अनिर्णीत
123	पैरा–33 (ख) (8) (i)	अनिर्णीत
124	पैरा–33 (ख) (8) (ii)	अनिर्णीत
125	पैरा–33 (ख) (8) (iii)	अनिर्णीत
126	पैरा–33 (ख) (8) (iv)	अनिर्णीत
127	पैरा–33 (ख) (9)	अनिर्णीत
128	पैरा–33 (ख) (10)	अनिर्णीत
129	पैरा–33 (ख) (11)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07

1	पैरा–2	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (ii)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (iv)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (v) (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (v) (ii)	अनिर्णीत (₹50/–की वसूली की जानी शेष है)
7	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (1) से 4 (xx)	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (i) से (Lii)	अनिर्णीत

12	पैरा–7	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (i) से 8 (vi)	अनिर्णीत
14	पैरा–9 (i) से (xii)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/10 तक

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (2) (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (2) (ख)	निर्णीत
5	पैरा–4 (2) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (2) (घ)	निर्णीत (₹95 जमा रसीद संख्या49/356 दिनांक 20.11.12 द्वारा)
7	पैरा–4 (2) (ङ)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–6.1	अनिर्णीत
10	पैरा–6.2	अनिर्णीत
11	पैरा–6.3	अनिर्णीत
12	पैरा–7	अनिर्णीत
13	पैरा–7.1	अनिर्णीत
14	पैरा–7.2	अनिर्णीत
15	पैरा–7.3	अनिर्णीत
16	पैरा–7.5	अनिर्णीत
17	पैरा–7.6.1	अनिर्णीत
18	पैरा–7.6.2	निर्णीत (न0प0 पत्र संख्या 1507 दिनांक 22.11.12 में की गई अनुपालना के अनुसार)
19	पैरा–7.7	अनिर्णीत
20	पैरा–7.8	अनिर्णीत
21	पैरा–7.9	अनिर्णीत
22	पैरा–7.11	निर्णीत
23	पैरा–8	अनिर्णीत (न0प0 पत्र संख्या 1508 दिनांक 22.11.12 में की अनुपालना के अनुसार)

24	पैरा—8.1	अनिर्णीत
25	पैरा—9	अनिर्णीत
26	पैरा—9.1	अनिर्णीत
27	पैरा—9.2	अनिर्णीत
28	पैरा—9.3	अनिर्णीत
29	पैरा—9.4	अनिर्णीत
30	पैरा—10	अनिर्णीत
31	पैरा—11	अनिर्णीत
32	पैरा—12.1	अनिर्णीत
33	पैरा—12.2	अनिर्णीत
34	पैरा—12.3	अनिर्णीत
35	पैरा—12.4	अनिर्णीत
36	पैरा—13	अनिर्णीत
37	पैरा—13.1	अनिर्णीत
38	पैरा—13.2	अनिर्णीत
39	पैरा—13.3	अनिर्णीत
40	पैरा—14	अनिर्णीत
41	पैरा—14.1	अनिर्णीत
42	पैरा—15	अनिर्णीत
43	पैरा—15.1.1	अनिर्णीत
44	पैरा—15.1.2	अनिर्णीत
45	पैरा—15.2	अनिर्णीत
46	पैरा—15.3	अनिर्णीत
47	पैरा—15.4	अनिर्णीत
48	पैरा—16.1	अनिर्णीत
49	पैरा—16.2	अनिर्णीत
50	पैरा—16.3	अनिर्णीत
51	पैरा—16.4	अनिर्णीत
52	पैरा—16.5	अनिर्णीत

53	पैरा—16.6	अनिर्णीत
54	पैरा—16.7	अनिर्णीत
55	पैरा—16.8	अनिर्णीत
56	पैरा—16.9	अनिर्णीत
57	पैरा—16.10	अनिर्णीत
58	पैरा—17.1	अनिर्णीत
59	पैरा—17.2	अनिर्णीत
60	पैरा—17.3	अनिर्णीत
61	पैरा—17.4	अनिर्णीत
62	पैरा—18	अनिर्णीत
63	पैरा—18.1	अनिर्णीत
64	पैरा—18.2	अनिर्णीत
65	पैरा—18.3	अनिर्णीत
66	पैरा—19	अनिर्णीत
67	पैरा—20	अनिर्णीत
68	पैरा—21	अनिर्णीत
69	पैरा—22	अनिर्णीत
70	पैरा—23	अनिर्णीत
71	पैरा—24	अनिर्णीत
72	पैरा—24.1	अनिर्णीत
73	पैरा—24.2	अनिर्णीत
74	पैरा—24.2.1	अनिर्णीत
75	पैरा—24.3	अनिर्णीत
76	पैरा—24.4	अनिर्णीत
77	पैरा—24.4.1	अनिर्णीत
78	पैरा—24.4.2	अनिर्णीत
79	पैरा—24.4.2.1	अनिर्णीत
80	पैरा—24.2.2	अनिर्णीत
81	पैरा—24.5	अनिर्णीत

82	पैरा—24.5.1	अनिर्णीत
83	पैरा—24.6	अनिर्णीत
84	पैरा—25	अनिर्णीत
85	पैरा—25.1	अनिर्णीत
86	पैरा—25.2	अनिर्णीत
87	पैरा—26	अनिर्णीत
88	पैरा—26.1	अनिर्णीत
89	पैरा—26.2	अनिर्णीत
90	पैरा—26.3	अनिर्णीत
91	पैरा—26.4	अनिर्णीत
92	पैरा—26.5	अनिर्णीत
93	पैरा—26.6	अनिर्णीत
94	पैरा—26.7	अनिर्णीत
95	पैरा—26.8	अनिर्णीत
96	पैरा—27	अनिर्णीत
97	पैरा—28	निर्णीत (₹600/— जमा रसीद संख्या 58/356 दिनांक 28.11.12 द्वारा)
98	पैरा—29	अनिर्णीत
99	पैरा—30	अनिर्णीत
100	पैरा—31	अनिर्णीत
101	पैरा—32	अनिर्णीत
102	पैरा—32.1	अनिर्णीत
103	पैरा—32.2	अनिर्णीत
104	पैरा—32.3	अनिर्णीत
105	पैरा—33	अनिर्णीत
106	पैरा—34	अनिर्णीत
107	पैरा—35	अनिर्णीत
108	पैरा—36	अनिर्णीत
109	पैरा—37	निर्णीत (₹37 जमा रसीद संख्या 14/356 दिनांक 25.10.12 द्वारा)

110	पैरा—38	अनिर्णीत
111	पैरा—39	निर्णीत (₹10/—जमा रसीद संख्या 48/356 दिनांक 20.11.12 द्वारा)
112	पैरा—40	अनिर्णीत
113	पैरा—41	अनिर्णीत
114	पैरा—42	अनिर्णीत
115	पैरा—43	अनिर्णीत
116	पैरा—43.1	अनिर्णीत
117	पैरा—44	अनिर्णीत
118	पैरा—44.1	निर्णीत (₹10/—जमा रसीद संख्या 218/356 दिनांक 20.11.12 द्वारा)
119	पैरा—44.2	निर्णीत (₹10/— जमा रसीद संख्या 218/356 दिनांक 20.11.12 द्वारा)
120	पैरा—44.3	अनिर्णीत